[2019] 15 एस. सी. आर 795

नस्ली नेविल वाडिया

वी.

IVORY संपत्तियाँ और ORS।

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 31982-31983 2013 का)

अक्टूबर 04,2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 9 ए (महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा अंतःस्थापित)-अधिकारिता-सीमा का प्रारंभिक मुद्दा-आयोजितः सीमा के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है-कमलाकर शांताराम में निर्णय है

सही ढंग से तय किया गया है और इसे फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में आयोजित इनक्यूरियम के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 9 ए (महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा अंतःस्थापित)-क्षेत्राधिकार-धारा 9 के प्रावधानों के तहत। 9 ए और ऑर्डर XIV नियम 2, यह प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए खुला है यदि यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल है न कि साक्ष्य दर्ज करके कानून और तथ्य का मिश्रित सवाल है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 9 ए (महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा अंतःस्थापित)-अधिकारिता जब

इस बात पर विचार करते हुए कि एस में कौन सी रंग अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र" है। 9 ए, यह स्पष्ट रूप से मनोरंजन करने की शक्ति के संदर्भ में है, अधिकार क्षेत्र 'मनोरंजन' शब्द के साथ रंग लेता है; अर्थात् न्यायालय को करना चाहिए

न्यायपालिका या उस समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत बनाए गए बार द्वारा बल में होना।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 9 ए (महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा अंतःस्थापित)-अधिकारिता-जब किसी मामले को न्यायिक या सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय को उस पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राहत देना संभव नहीं है क्योंकि मुकदमा दायर करने की सीमा समाप्त हो गई है, धारा 9 ए के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। 27 सीमा अधिनियम-जब न्यायालय

किसी मुकदमे को सीमा के आधार पर खारिज करता है, संपत्ति का अधिकार है

ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए कि न्यायालय को इस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए-न्यायालय को एस के तहत एक कर्तव्य के साथ आदेश दिया गया है। 3 सीमा अधिनियम का अपने आप में सीमा के प्रतिबंध को ध्यान में रखना-"कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिबंध" अभिव्यक्ति में सीमा अधिनियम द्वारा बनाई गई अभिव्यक्ति शामिल है-इसे "एस में उपयोग किए गए मुकदमे को स्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र" अभिव्यक्ति में शामिल नहीं कहा जा सकता है। 9 ए-अदालत को एक मामला प्राप्त करना होगा

उन तथ्यों पर विचार करने और उनका मनोरंजन करने के लिए जो गठन करते हैं

राहत देने के लिए किसी अन्य कानून द्वारा बनाई गई सीमा या बाधा, उसे गुण-दोष के आधार पर प्रश्न का निर्णय करना होता है; फिर उसे सीमा या किसी अन्य कानून द्वारा बनाए गए ऐसे अन्य प्रतिबंध के आधार पर खारिज करने की शक्ति होती है-इस प्रकार, एस में मनोरंजन करने के लिए अधिकार क्षेत्र को दिया जाने वाला अर्थ। 9 रखरखाव के मामले में ए एक संकीर्ण है,

न्यायनिर्णयन के लिए वाद प्राप्त करने की न्यायालय की क्षमता केवल प्रावधानों के अंतर्गत आती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: Or.XIV r. 2 (2) (बी) और एस। 9 – प्रारंभिक मुद्दा-किसी मामले में सीमा के प्रश्न का निर्णय लिया जा सकता है।

स्वीकृत तथ्यों के आधार पर, इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है

Or.XIV r के तहत। 2 (2) (ख)-हालाँकि, जब तथ्यों को सीमा के बारे में विवादित किया जाता है, तो सीमा के प्रश्न का निर्धारण भी किया जाता है।

Or.XIV r के तहत नहीं बनाया जा सकता है। 2 (2) (बी) एक प्रारंभिक मुद्दे या कानून के किसी अन्य ऐसे मुद्दे के रूप में जिसकी जांच की आवश्यकता है

विवादित तथ्य-तथ्यों के रूप में विवाद के मामले में, कानून के प्रश्न पर निष्कर्ष देने के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है-इस तरह के प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है-इस प्रकार, कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है, या तो एस के तहत। 9 ए या Or.XIV आर के तहत। 2 - दोनों प्रावधानों के संबंध में सी. पी. सी. के संशोधन से पहले या बाद में स्थिति समान है।

सीमा।

अधिकार क्षेत्रः अर्थ-आयोजितः क्षेत्राधिकार वह प्राधिकरण है जिसके द्वारा एक न्यायिक अधिकारी संज्ञान लेता है और मामलों का फैसला करता है। यह केवल एक विधिवत गठित न्यायालय के अस्तित्व का अनुमान लगाता है जिसमें

विषय-वस्तु पर नियंत्रण जो उस कानून की वर्गीकरण सीमाओं के भीतर आता है जिसके तहत न्यायालय की स्थापना की गई है। इसका पक्षकार वादी पर नियंत्रण होना चाहिए, पक्षकारों के क्षेत्र पर नियंत्रण होना चाहिए, यह आर्थिक के साथ-साथ वर्ग की प्रकृति से भी संबंधित हो सकता है।

मामलों में।

नस्ली नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS।

अधिकार क्षेत्रः अधिकारिता का अस्तित्व और अधिकारिता का प्रयोग-आयोजित के बीच अंतरः अधिकारिता को उसके प्रयोग में की गई अधिकारिता संबंधी त्रुटि से मनोरंजन का अलग अर्थ है-अधिकारिता का अस्तित्व संपार्श्विक कार्यवाही में हमला करने के लिए निर्णय की अनुकूलता के तथ्य से परिलक्षित होता है-यदि न्यायालय में अधिकारिता की अंतर्निहित कमी है, तो उसका निर्णय शून्य के रूप में हमला करने के लिए खुला है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम,

2018 : एस. 2 - संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 2 में यह प्रावधान है कि जहां एस के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किया जाए। 9 ए लंबित है।

सी. पी. सी. के प्रारंभ की तारीख को, उक्त मुद्दे का निर्णय न्यायालय द्वारा एस. के तहत किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। 9 ए जैसे कि एस के तहत प्रावधान। 9 ए को हटाया नहीं गया है, कानूनी स्थिति को नहीं बदलता है। एस के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में क्या तय किया जा सकता है। 9 ए, सी. पी. सी., जैसा कि महाराष्ट्र में लागू होता है-एस के प्रावधान द्वारा बनाई गई बचत। 2 जहाँ एस के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किया जाता है। 9 ए शुरू होने की तारीख को लंबित है

संशोधन अधिनियम, 2018, केवल तभी तय किया जा सकता है जब यह एस की व्याख्या के मापदंडों के भीतर आता है। 9 ए-कोई मुद्दा तय नहीं किया जा सकता है।

केवल इस प्रावधान की आड़ में कि इसे एस के तहत तैयार किया गया है। 9 ए और प्रारंभ की तारीख पर विचाराधीन था

संशोधन अधिनियम, 2018। शब्द और वाक्यांशः मुकदमे पर विचार करने के लिए अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार '-का अर्थ-समझाया गया।

शब्द और वाक्यांशः अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' का अर्थ-आयोजितः 'मनोरंजन' शब्द का अर्थ है विचार के लिए स्वीकार करना-इसका अर्थ है योग्यता पर निर्णय लेना या विचार करने के लिए आगे बढ़ना।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः इन
आरईः शब्द न्यायनिर्णयन का अर्थ

1.1 न्यायक्षेत्र निर्णय लेने की शक्ति है न कि केवल सही निर्णय लेने की शक्ति। क्षेत्राधिकार [2019] 15 एस. सी. आर. के लिए कानून का अधिकार है।

1.2 क्षेत्राधिकार को आम तौर पर निर्णय लेने, निर्णय देने, तथ्यों की जांच करने, कानून को लागू करने और निर्णय देने के अधिकार के रूप में समझा जाता है। जब कार्य करने के लिए सामान्य शक्ति की कमी होती है, तो न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। जब न्यायालय के पास तथ्यों की जांच करने, कानून को लागू करने, बाध्यकारी निर्णय देने और इसे लागू करने की शक्ति है, न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है। किसी अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्णय को अक्षमता के आधार पर संपार्श्विक हमले से मुक्त होना चाहिए। इसका सुनवाई और निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण या न्यायालय की संवैधानिक और वैधानिक शक्ति के साथ सह-संबंध है। इसका अर्थ है शक्ति या क्षमता।

मूल रूप से मनोरंजन करना, सुनना और निर्धारित करना। [पैरा 17] [824 बी-सी]

1.3 मनोरंजन के लिए अधिकारिता गुण, अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में त्रुटि या अधिकार क्षेत्र की अधिकता से अलग है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और अदालतों को सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार देती है जब तक कि यह प्रतिबंधित न हो। द.

1882 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में उपयोग किए गए शब्द "उस समय लागू किसी भी अधिनियम द्वारा वर्जित" 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में "या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित" द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। इस प्रकार, धारा 9 के तहत "अधिकार क्षेत्र" शब्द संज्ञान से संबंधित है, यानी, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित नहीं है। [पारस 18-20] [824-D-G-H]

राजा साबुन कारखाना बनाम। एस. पी. शांतराज, ए. आई. आर 1965 एस. सी.

1449 : [1965] एससीआर 800; ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्र। , (1988) 2 एससीसी 602: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 1; दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली बनाम।

नस्ली नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS।

लेफ्टिनेंट कर्नल एस. के. लोरैया (1972) 2 एस. सी. सी. 692: [1973] 1 एस. सी. आर. 1010; श्रीमती उज्जम बाई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1962 एससी 1621: [1963] एससीआर 778; अनवर हुसैन

वी. अजय कुमार मुखर्जी, आकाशवाणी 1965 एससी 1651 -

संदर्भित किया गया।

1.4 धारा 9 ए की अधिकारिता का उपयोग जिस संदर्भ में किया गया है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। अधिकारिता शब्द होना चाहिए

विभिन्न प्रावधानों में उपयोग किए गए संदर्भ में व्याख्या की गई। "अधिकार क्षेत्र" शब्द का उपयोग सी. पी. सी. में कई प्रावधानों में किया गया है। धारा 9 उन सभी मुकदमों को छोड़कर जो वर्जित हैं, दीवानी अदालत द्वारा सभी मुकदमों की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। धारा 10 न्यायालय को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने से रोकती है। धारा 11 और स्पष्टीकरण VIII न्यायिक निर्णय के सिद्धांत पर आधारित हैं। आदेश II नियम 3 (2) में संबंधित प्रावधान है -

वाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता। आदेश VII नियम 11 (डी) कानून द्वारा वर्जित होने के आधार पर शिकायत की अस्वीकृति से संबंधित है। आदेश XIV नियम 2 के बीच अंतर करता है

न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे या उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक। कई अन्य प्रावधान हैं जिनमें अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। [पैरा 27] [828-बी-ई]

इन आरई: " सूट में प्रवेश करें "

2.1 धारा 9 ए के प्रावधानों पर विचार करते समय, अधिकार क्षेत्र शब्द "मुकदमे को स्वीकार करने के लिए" के साथ योग्य है, उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'मुकदमे को स्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र' है। न्यायालय के पास किसी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होता है जब उसे विचार के लिए प्राप्त करने का अधिकार क्षेत्र होता है। यदि सीमा पर, न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता है, तो यह कहा जा सकता है कि न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है -

मामले का मनोरंजन करें। यह ऐसा है जैसे एक मुकदमा राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय है, लेकिन यह दीवानी न्यायालय में दायर किया जाता है, न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता है और न ही इसे परीक्षण के लिए प्राप्त कर सकता है। जब अलग वैधानिक

किसी विशेष विवाद पर विचार करने के लिए तंत्र प्रदान किया जाता है और सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है, और यदि इसे सिविल न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, जिसका अधिकार क्षेत्र वर्जित है, तो वह इस तरह के मुकदमे पर विचार नहीं कर सकता है और इसे विचार के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि न्यायालय के पास इस तरह के मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 14 में भी "मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र" शब्द का उपयोग किया गया है। धारा [2019] 15 एस. सी. आर. के प्रावधान।

14 बशर्ते कि यदि कोई मुकदमा गलत न्यायालय में दायर किया जाता है और न्यायालय अधिकारिता के दोषों के कारण इसे स्वीकार करने में असमर्थ है, मुकदमा दायर करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। [पैरा 28-29] [828 F-H; 829-A-B]

2.2 'मनोरंजन' अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी चीज़ को विचार के लिए स्वीकार करना। जब कोई मुकदमा या कार्यवाही खारिज नहीं की जाती है

लेकिन अदालत इसे कानून के तहत निपटान के लिए विचार के लिए प्राप्त करती है, इसे मुकदमे या कार्यवाही का मनोरंजन करने के रूप में माना जाना चाहिए। यह महत्वहीन है कि अंतिम निर्णय क्या है। द.

'मनोरंजन' पद का अर्थ है गुण-दोष पर निर्णय लेना या विचार करना। [पैरा 31,32] [830-एफ-एच]

प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम। कमलाकर शांताराम वाडके और अन्य। , ए. आई. आर 1975 एस. सी. 2238 [1976] 1 एस. सी. आर. 427 – पुष्टि की।

लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम। सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कानपुर एआईआर 1968 एससी 488: [1968] एस. सी. आर. 505; हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम। पुन्नू साहू (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (1971) 3 एस. सी. सी. 124; काशीराम बनाम। संतोखबाई आकाशवाणी 1958 एमपी 91; नकुल चंद्र घोष बनाम। श्यामपद घोष

ए. आई. आर. 1945 कैल 381-संदर्भित। इन आरईः अस्तित्व और अस्तित्व के बीच का अंतर

न्यायनिर्णयक अभ्यास

3.1 अधिकारिता के अस्तित्व और अधिकारिता के प्रयोग के बीच अंतर है। यदि क्षेत्राधिकार का प्रयोग भौतिक अनियमितता या अवैधता के साथ किया जाता है, तो यह क्षेत्राधिकार त्रुटि भी होगी। हालाँकि, यदि किसी अदालत के पास किसी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक गलती की गई है, हालांकि यह एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होगी, लेकिन इसकी कमी नहीं होगी। यह अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए खुली एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि हो सकती है। एक मामले में, क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों के साथ-साथ न्यायिक तथ्य भी सामने आ सकते हैं। जब विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के तथ्य गायब होते हैं, तो अदालत/न्यायाधिकरण बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। न्यायनिर्णायक तथ्यों के मामले में, न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ सकता है, और इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, जिसे गुण-दोष पर जांच करने की शक्ति कहा जाता है।

नस्ली नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS।

न्यायनिर्णयन योग्यता पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने की शक्ति है। [पारस 33,36] [831-जी; 832-एच; 833-ए]

डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम के. आर. इंडस्ट्रीज (2008) 10 एस. सी. सी. 595 [2008] 9 एस. सी. आर. 652; भाई जय किशन सिंह बनाम।

पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया (परिसमापन में)

भगवती शंकर, आधिकारिक परिसमापक, ए. आई. आर. 1944 लाह 136 के माध्यम से; भारत संघ बनाम। ताराचंद गुप्ता और ब्रदर्स। , (1971) 1 एससीसी 486: [1971] एस. सी. आर. 557; आधिकारिक न्यासी, पश्चिम बंगाल बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी, ए. आई. आर 1969 एस. सी 823: [1969] एससीआर 92 -

संदर्भित किया गया है

एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम। विदेशी क्षतिपूर्ति आयोग,

[1968] 2 प्र. ख. 862 का उल्लेख किया गया है।

3.2 जब किसी दावे को सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनकार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे में है।

न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा। यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय ने सीमा के आधार पर मामले को खारिज करते हुए गलत निर्णय लेकर गुण-दोष में जाने के लिए अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर दिया है। न्यायपालिका के सवाल पर एक गलत निर्णय या

परिसीमन न्यायालय की अधिकारिता को नहीं हटाएगा और न ही निर्णय को संपार्श्विक हमले के लिए उत्तरदायी शून्य बना देगा। न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता नहीं होने की कसौटी यह है कि इसका निर्णय संपार्श्विक कार्यवाही में हमला करने के लिए उत्तरदायी है। सीमा द्वारा वर्जित मामले में, न्यायालय के पास इस मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता है। यदि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह इस तरह के मुद्दे को गुण-दोष के आधार पर तय नहीं कर सकता है। [पारस 40-42] [837-A-B; 840-D-F]

एम. एल. सेठी बनाम आर. पी. कपूर, (1972) 2 एससीसी 427: [1973] 1 एस. सी. आर. 697; बुधिया स्वैन और अन्य बनाम गोपीनाथ देब और अन्य, (1999) 4 एससीसी 396: [1999] 2 एससीआर 1189 - पर भरोसा किया।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। लिमिटेड वी. सीमेंस एटकिंजेसेलशाफ्ट (2007) 4 एस. सी. सी. 451: [2007] 3 एससीआर

399 – अप्रयोज्य रखा गया।

इन आरईः मनोरंजन के लिए न्यायपालिका

धारा 9 ए, सीपीसी

4.1 धारा 9 ए में "अधिकार क्षेत्र" शब्द मुकदमे को 'मनोरंजन' करने के लिए अभिव्यक्ति के साथ योग्य है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि [2019] 15 एस. सी. आर.

आदेश XIV नियम 2 (2) में निहित प्रावधानों की तुलना में विधायिका द्वारा धारा 9 ए के दायरे को कम कर दिया गया है, जिसमें "उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा बनाए गए अवरोध" के प्रावधान शामिल नहीं हैं। चूँकि महाराष्ट्र में शामिल धारा 9 ए में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र" है जो एक संकीर्ण अर्थ में है और इसके उद्देश्य को व्यापक नहीं माना जा सकता है। [पारस 43-44] [840-G-H; 841-A-B]

किस रंग अभिव्यक्ति पर विचार करते समय

4.2

" धारा 9 ए में यह स्पष्ट रूप से मनोरंजन करने की शक्ति के संदर्भ में है, अधिकार क्षेत्र इसके साथ से रंग लेता है।

शब्द 'मनोरंजन'; अर्थात् न्यायालय के पास विचार के लिए किसी मामले को प्राप्त करने या उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। यदि कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो अदालत के पास राहत देने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन यदि उसके पास है, तो वह इस कारण से ऐसी राहत नहीं दे सकता है कि दावा समय-सीमा से वर्जित है या न्यायिक निर्णय के सिद्धांत या किसी अन्य कानून के तहत बनाए गए प्रतिबंध द्वारा वर्जित है। जब किसी मामले को न्यायिक या सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय के पास इसे स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राहत देना संभव नहीं है। ए फाइल करने की सीमा समाप्त होने के कारण

सीमा अधिनियम की धारा 27 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान है। जब न्यायालय किसी मुकदमे को सीमा के आधार पर खारिज करता है, तो संपत्ति का अधिकार खो जाता है, इसलिए न्यायालय को इसे स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। न्यायालय को सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत एक कर्तव्य के साथ आदेश दिया गया है कि वह स्वयं सीमा के प्रतिबंध को ध्यान में रखे। अभिव्यक्ति

" तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिबंध में सीमा अधिनियम द्वारा बनाया गया मुकदमा भी शामिल है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे धारा 9 ए में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मनोरंजन करने की अधिकारिता" में शामिल किया गया है। न्यायालय को विचार के लिए एक मामला प्राप्त करना होगा और उस पर विचार करना होगा, राहत देने के लिए किसी अन्य कानून द्वारा बनाई गई सीमा या बाधा का गठन करने वाले तथ्यों पर गौर करने के लिए, उसे गुण-दोष के आधार पर प्रश्न का निर्णय करना होगा; फिर उसे सीमा या किसी अन्य कानून द्वारा बनाई गई ऐसी अन्य बाधा के आधार पर खारिज करने की शक्ति है। इस प्रकार, धारा 9 ए में विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र को दिया जाने वाला अर्थ एक संकीर्ण है क्योंकि रखरखाव के लिए, न्यायालय की निर्णय के लिए मुकदमा प्राप्त करने की क्षमता केवल प्रावधानों के तहत आती है। मनोरंजन शब्द को गुण-दोष पर राहत देने में असमर्थता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वही नस्ली नेविल वाडिया बनाम।

IVORY संपत्तियाँ और ORS।

यह अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुकदमा प्राप्त करने से संबंधित है। राहत मिलती है। [पैरा 45] [841-बी-जी]

4.3 आदेश XIV नियम 1 के अनुसार, मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब तथ्य या कानून के एक भौतिक प्रस्ताव को एक पक्ष द्वारा पुष्टि की जाती है और अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरे से। मुद्दों को सामग्री प्रस्ताव पर तैयार किया जाता है, जिसे किसी अन्य पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तथ्यों और मुद्दों के मुद्दे हैं

कानून से। यदि विशिष्ट तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, और यदि कानून का प्रश्न उत्पन्न होता है जो स्वीकार किए गए तथ्य के परिणाम पर निर्भर करता है। तथ्यों के अनुसार, यह न्यायालय के लिए आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत तथ्यों और कानून के प्रारंभिक प्रश्न के आधार पर निर्णय देने के लिए खुला है। आदेश XIV नियम 2 (1) में, न्यायालय प्रारंभिक मुद्दे पर मामले का फैसला कर सकता है। इसे सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाना होता है। आदेश XIV नियम 2 (2)

प्रस्थान करता है और न्यायालय कानून के प्रश्न का निर्णय इस प्रकार कर सकता है

न्यायालय की अधिकारिता या किसी द्वारा वाद के लिए बनाई गई बाधा

उस समय लागू कानून, जैसे कि सीमा अधिनियम के तहत। किसी मामले में सीमा के प्रश्न का निर्णय स्वीकृत तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है, इसे आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। एक बार सीमा के बारे में तथ्य विवादित हो जाने के बाद, सीमा के प्रश्न का निर्धारण भी आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे या किसी अन्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

कानून का ऐसा मुद्दा जिसमें विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता हो। तथ्यों के बारे में विवाद के मामले में, कानून के प्रश्न पर निष्कर्ष देने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। एक मामले में,

अधिकारिता का प्रश्न उन तथ्यों के प्रमाण पर भी निर्भर करता है जो विवादित हैं। यदि तथ्य विवादित हैं और कानून का सवाल तथ्यों की जांच के परिणाम पर निर्भर है, तो इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।

4.4 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) की धारा 9 ए का उद्देश्य क्षेत्राधिकार का दोष है। यह अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय या विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है। अधिकारिता का दोष कानून के प्रावधानों के कारण हो सकता है। यह केवल न्यायालय के समक्ष मुकदमे की रखरखाव क्षमता है जो इसमें शामिल है धारा 9-ए सी. पी. सी. के दायरे में, जैसा कि [2019] 15 एस. सी. आर. में संशोधित किया गया है।

महाराष्ट्र। सीमा अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि धारा 4 से 24 में निहित प्रावधानों के अधीन सीमा अधिनियम, स्थापित प्रत्येक वाद, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी, और निर्धारित अवधि के बाद किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि न्यायालय को मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब तक न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तब तक वह धारा 3 के तहत सीमा के आधार पर इसे खारिज करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। [पैरा 49,50] [843-सी-जी]

रघुनाथ दास बनाम। गोकल चंद, आकाशवाणी 1958 एससी 827:

[1959] एस. सी. आर. 811-पर निर्भर।

इन आरईः आदेश XIV नियम 2

5. संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से सी. पी. सी. में शामिल आदेश XIV नियम 2 में उपयोग की गई अभिव्यक्तियाँ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। धारा 9 ए का दायरा आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों की तुलना में अलग है और धारा 9 ए का दायरा आदेश XIV नियम 2 जितना व्यापक नहीं है। हालाँकि, आदेश XIV नियम 2 की अवधारणा जिसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में माना जा सकता है, केवल धारा 9 ए के तहत लागू होगी।

" विचार करने की अधिकारिता "उत्पन्न होती है, अर्थात, यदि इसे धारा 9 ए के तहत विचार किए गए स्तर पर विशुद्ध रूप से कानून के प्रश्न के रूप में तय किया जा सकता है, यदि यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, तो धारा 9 ए, सीपीसी के तहत प्रश्न का निर्णय करने के लिए कोई सबूत दर्ज नहीं किया जा सकता है। [पारस 52,54] [844-डी-जी-एच; 845-ए]

साजनबीर सिंह आनंद और अन्य बनाम। रमिंदर कौर

आनंद और अन्य (2018) 3 Mh.L.J. 892;

गुणवंतभाई मूलचंद शाह बनाम। एंटोन एलिस फरेल और अन्य, (2006) 3 एससीसी 634: [2006] 2 एस. सी. आर. 886; इंडियन बैंक बनाम महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन

फेडरेशन लिमिटेड, (1998) 5 एस. सी. सी. 69 [1998] 3 एस. सी. आर. 187; स्नेह लता गोयल बनाम। पुष्पलता और अन्य, (2019) 3 एस. सी. सी. 594 [2019] 1 एस. सी. आर. 463; हीरालाल पटनी बनाम। काली नाथ, ए. आई. आर 1962 एस. सी. 199: [1962] एस. सी. आर. 747-संदर्भित।

अब्दुल रहमान बनाम। प्रसॉनी बाई और एक अन्य, (2003) 1

एस. सी. सी. 488 [2002] 4 पूरक। एससीआर 260 आयोजित

अप्रयोज्य।

नस्ली नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS।

इन आरईः कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न और आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी.

6.1 किसी भी मामले में सीमा के प्रश्न को न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न नहीं कहा जा सकता है।

सी. पी. सी. की धारा 9ए में उपयोग किया गया। इसे प्रस्ताव के रूप में नहीं रखा जा सकता है। आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत कानून की कि शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है

सीमा द्वारा वर्जित। यह कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से ऐसे मामले में ऐसा करने की अनुमति है जहां वाद-प्रतिवाद स्वयं कार्रवाई के कारण को सीमा द्वारा बाधित करने का संकेत देता है और मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। [पारस 58,62] [847 ई; 848-एफ]

497 : [1964] एस. सी. आर. 409; नार्ने राम मूर्ति बनाम। रवुला सोमसुंदरम और ओआरएस। (2005) 6 एससीसी 614: [2004] 6 पूरक। एससीआर 1065; सत्ती परदेसी समाधि और पिल्लयार मंदिर बनाम। एम. शकुंतला (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से, (2015) 5 एससीसी 674: [2014]

9 एस. सी. आर. 221; रामदयाळ उमरोमल बनाम। पन्नालाल

जगन्नाथजी, 1979 M.P.L.J 736; सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य बनाम। गोपाल सिंह विश्राम और अन्य, ए. आई. आर. 1991 ऑल 89; वेंकटेश आर। देसाई बनाम। श्रीमती. पुष्प

होस्मानी और ओआरएस। , आईएलआर 2018 कर 5095; पृथ्वी राज बनाम। मुन्नालाल, 1957 आरएलडब्ल्यू 323; भाग सिंह बनाम। नेक सिंह

(1994) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 594; राज्य व्यापार

चंद्र दास बनाम। गोपाल चंद्र दास, ए. आई. आर. 1991 कैल 237; ताज केरल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड बनाम। ईज़ीटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड, (2013) एससीसी ऑनलाइन केर 20240; माधबानंद गोविंदसामी बनाम। माणिकम और ओआरएस। , 2016-1 - एल. डब्ल्यू. 49 ; एंगस्ले इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम तुरस

शिपिंग सेवा और अन्य। , ए. आई. आर. 2007 गुजरात 23;

चंद्रमा सिंह बनाम। (डी) एल. आर. वी. के माध्यम से। राम किशोर अग्रवाल और अन्य। , (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन सीएच 1740;

नरेश चंद्र गौतम बनाम। छोटे खान, (2003) एस. सी. सी. ऑनलाइन उत्तर 12; रामग्या तिवारी बनाम। शिब कुमार साह और अन्य। , (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन जाह 578; लालचंद शा और अन्य। वी. कलाबती देवी और अन्य। , (2008) 2 गौ एल. आर. 561; जे. मुंथम्मा और अन्न। वी. बया इग्लाम्मा और ओआरएस।

;

[2019] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैश्य अग्रवाल पंचायत बनाम. इंदर कुमार और अन्य,

AIR 2015 SC 3357 [2015] SCR 637; हरींद्रन

और अन्य वी। सुकुमारन और अन्य, (2018) 14 एससीसी

187 संदर्भित किया गया।

6.2 यदि वाद में अभिकथन इंगित करते हैं कि मुकदमा वर्जित है, तो सी. पी. सी. की धारा 9 ए के चरण के आने से पहले इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार, जिस स्तर पर आदेश VII नियम 11 (डी) को लागू किया जाना है, वह सीमा पर है और धारा 9 ए का दायरा कुछ हद तक सीमित और अलग है। यद्यपि इसका दायरा आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति काफी व्यापक है जिसमें किसी भी कानून द्वारा इसे प्रतिबंधित करने की स्थिति में वाद की अस्वीकृति शामिल है, हालांकि, केवल वाद में अभिकथनों को देखा जाना है, फिर भी धारा 9 ए इसके संचालन में सीमित है।

किसी वाद पर विचार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता। [पैरा 65] [852-डी-ई]

रमेश बी. देसाई और अन्य। वी. बिपिन वादिलाल मेहता और अन्य। , (2006) 5 एससीसी 638: [2006] 3 पूरक। एससीआर 414; राघवेंद्र शरण सिंह बनाम। राम प्रसन्ना सिंह

(मृत) एलआरएस द्वारा। , एआईआर 2019 एससी 1430; एन. वी. श्रीनिवास मूर्ति और अन्य बनाम। प्रस्तावित द्वारा मरियम्मा (मृत) एल. आर. & ओआरएस। , (2005) 5 एससीसी 548: [2005] 1 पूरक। एससीआर 411; सुमन देवी बनाम। मनीषा देवी और अन्य, (2018) 9 एस. सी. सी. 808 [2018] 10 एस. सी. आर. 26- लागू नहीं हुआ।

इन आरईः विदेशी सहयोग में निर्णय

आवास समाज सीमित

7.1 फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में पांडुरंग ढोंडी चौगुले मामले में अदालत के फैसले और अन्य फैसलों पर भरोसा किया गया है। पांडुरंग ढोंडी चौगुले में, संविधान पीठ ने कहा है कि सीमा की याचिका कानून की याचिका है, जो कार्यवाही का परीक्षण करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। संविधान पीठ ने उस सीमा के प्रश्न को निर्धारित नहीं किया है, और न्यायपालिका पर प्रारंभिक मुद्दे के रूप में विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि न्यायपालिका और सीमा का प्रश्न कार्यवाही में डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न से संबंधित है। यदि कार्यवाही सीमा द्वारा वर्जित है, तो न्यायालय के पास पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

डिक्री। न्यायालय के पास अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र था और कार्यवाही के दौरान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे किया जाना है और एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम।

IVORY संपत्तियाँ और ORS।

अधिकारिता के प्रयोग के दौरान गलत निर्णय का मामला एक और रंग है जिसमें पांडुरंग ढोंडी चौगुले में अधिकारिता त्रुटि का अनुमान लगाया गया है। यह इस मुद्दे को तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व की कमी का मामला नहीं था। सीमा और न्यायपालिका का प्रश्न, अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे के भीतर तय किया जाना है

कानून। इन दलीलों पर निष्कर्ष एक डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा सकता है क्योंकि अन्य कानून इसे प्रतिबंधित करते हैं। इस प्रकार, इन याचिकाओं को अधिकार क्षेत्र के प्रश्न से संबंधित कहा जा सकता है, इसके प्रयोग में उनका निर्णय लिया जाना है। निर्णय उत्तरदाताओं के कारण का समर्थन करने में कोई मदद नहीं करता है। फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में, अदालत ने गलत तरीके से सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उपयोग किए गए अधिकार क्षेत्र का एक अलग रंग लागू किया है, जिसे पांडुरंग ढोंडी चौगुले मामले में निपटाया गया था। यह एक बेमेल है और इसके साथ विलय नहीं होता है

सी. पी. सी. की धारा 9 ए के प्रावधानों का संदर्भ। [पैरा 66 और 67] [852 जी; 853-जी-एच; 854-ए-डी]

प्रवीण डी. देसाई (मृत)) कानूनी माध्यम से प्रतिनिधि और अन्य, (2015) 6 एस. सी. सी. 412: [2015] 5 एससीआर 1075; फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी

सीमित वी। प्रवीण डी. देसाई, (2009) 1 एयर बॉम आर 477; रॉयल पाम्स (इंडिया) पी. लिमिटेड बनाम। भरत शाह,

(2009) 2 बम सी. आर. 622; मुकुंद लिमिटेड बनाम। एम. आई. ए. एल., (2011) 2 Mh.L.J. 936, जग्शी शाह बनाम। शान बिल्डर्स, (2012) 3 बॉम सी. आर. 770; फेरानी होटल्स पी. लिमिटेड और एक अन्य बनाम। नुस्ली नेविल वाडिया और अन्य, (2012) एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 1994;: नरेश लचनमंडस अस्वानी बनाम। हरिदास असवानी और अन्य, (2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1368; भारत संघ और अन्य बनाम। एन. के. भोग और अन्य,

(2015) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 664-सही कानून नहीं कमलाकर एकनाथ सालुंखे बनाम। बाबूराव विष्णु

जवालकर और ओआरएस। , (2015) 7 एससीसी 321-पुष्टि की गई

मेहर सिंह बनाम। दीपक साहनी, (1998) 3 एमएलजे 940; सुदेश बनाम। अब्दुल अज़ीज़, (2001) 1 Mh.L.J. 324 -

खारिज कर दिया।

स्मिथक्लाइन बीचम उपभोक्ता उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा बनाम। हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम [2019] 15 एस. सी. आर.

1337 : श्रद्धा एसोसिएट्स बनाम। सेंट पैट्रिक टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, (2003) 2 Mh.L.J. 219

अस्वीकृत।

राजा साबुन कारखाना बनाम। एस. पी. शांतराज, ए. आई. आर 1965 एस. सी.

1449 : [1965] एससीआर 800; ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्र। , (1988) 2 एससीसी 602: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 1; दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली बनाम

लेफ्टिनेंट कर्नल एस. के. लोरैया (1972) 2 एस. सी. सी. 692: [1973] 1 एस. सी. आर. 1010; श्रीमती उज्जम बाई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य,

ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1621 [1963] एस. सी. आर. 778; अनोवर

हुसैन बनाम। अजय कुमार मुखर्जी, आकाशवाणी 1965 एससी 1651; एम. एल. सेठी बनाम आर. पी. कपूर, (1972) 2 एससीसी 427: [1973] 1 एस. सी. आर. 697; हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी

वी. वी. बी. राजू और अन्य। , (1974) 3 एससीसी 415: [1974] 1 एस. सी. आर. 548; इट्ट्यविरा मथाई बनाम। वर्की वर्की और एनर। , ए. आई. आर 1964 एस. सी 907: [1964] एससीआर 495; मकबुल अहमद और अन्य बनाम। ओंकार प्रताप नारायण, ए. आई. आर. 1935 पी. सी. 85; माणिक चंद्र नंदी बनाम। देबदास नंदी और

अन्य, (1986) 1 एस. सी. सी. 512; आई. टी. डब्ल्यू. सिग्नोड इंडिया लिमिटेड v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, (2004) 3 एस. सी. सी. 48: [2003] 5 पूरक। एससीआर 751; कमलेश बाबू और अन्य बनाम। लाजपत राय शर्मा और अन्य, (2008) 12 एससीसी 577: [2008] 6 एस. सी. आर. 653; भारतीय किसान उर्वरक सहकारी सीमित वी। भद्रा उत्पाद (2018) 2 एस. सी. सी. 534: [2018] 1 एस. सी. आर. 848; पांडुरंग ढोंडी चौगुले और अन्य। वी. मारुति हरि जाधव और ओआरएस, एआईआर 1966 एससी

153 [1966] एस. सी. आर. 102 संदर्भित है।

इन आरईः साहित्यिक हस्तक्षेप

8. जब धारा 9 ए, सी. पी. सी. में शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार का उपयोग किया गया है

मनोरंजन करने के लिए कंपनी। दोनों अभिव्यक्तियों को एक साथ लिया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि न्यायालय के पास मुकदमा शुरू करने के लिए विचार के लिए मुकदमा प्राप्त करने की शक्ति या अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। जब मनोरंजन के लिए अधिकार क्षेत्र से सीमा के प्रश्न के बहिष्करण के कारण होने

वाली कठिनाइयों का परीक्षण किया जाता है, तो सही भावना से परीक्षण किया जाता है, यह समर्पण को नकारने के लिए पलटता है। [पैरा 76] [863-एफ] नस्ली नेविल वाडिया बनाम।

IVORY संपत्तियाँ और ORS।

रोहिताश कुमार और अन्य बनाम। ओम प्रकाश शर्मा और

अन्य, (2013) 11 एससीसी 451: [2012] 13 एससीआर 47;

नलिनख्या बिसैक बनाम। श्याम सुंदर हलदर, आकाशवाणी 1953

एस. सी. 148 [1953] एस. सी. आर. 533-प्रतिष्ठित।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 5 एससीआर 1075

सही कानून नहीं

पैरा 1

(2015) 7 एस. सी. सी. 321

पैरा 1

पुष्टि की

[1966] एससीआर 102

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1965] एससीआर 800

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1988] 1 पूरक। एससीआर 1

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

[1973] 1 एससीआर 1010

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[1963] एससीआर 778

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

पैरा 25

ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1651

संदर्भित किया गया है

[1973] 1 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1968] एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

(1971) 3 एससीसी 124

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[2008] 9 एससीआर 652

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[1976] 1 एससीआर 427

पैरा 35

पुष्टि की

अप्रयोज्य रखा गया

[1974] 1 एससीआर 548

पैरा 37

[1971] एससीआर 557

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[1969] एससीआर 92

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

अप्रयोज्य रखा गया

[2007] 3 एससीआर 399

पैरा 40

[1999] 2 एससीआर 1189

उस पर भरोसा करें

पैरा 42

[1959] एससीआर 811

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

[2002] 4 पूरक। एससीआर 260

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 55

[2006] 2 एससीआर 886

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

[1998] 3 एससीआर 187

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[2019] 1 एससीआर 463

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[1962] एससीआर 747

संदर्भित किया गया है

[1964] एससीआर 409

संदर्भित किया गया है

पैरा 57

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1065

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[2014] 9 एससीआर 221

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

[2015] एससीआर 637

संदर्भित किया गया है

पैरा 61

(2018) 14 एससीसी 187

संदर्भित किया गया है

पैरा 63

अप्रयोज्य रखा गया

[2006] 3 पूरक। एससीआर 414

पैरा 64

अप्रयोज्य रखा गया

आकाशवाणी 2019 एससी 1430

पैरा 65

अप्रयोज्य रखा गया

[2005] 1 पूरक। एससीआर 411

पैरा 65

अप्रयोज्य रखा गया

[2018] 10 एससीआर 26

पैरा 65

[1964] एससीआर 495

पैरा 68

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

ए. आई. आर 1935 पी. सी. 85

(1986) 1 एस. सी. सी. 512

संदर्भित किया गया है

पैरा 69

[2003] 5 पूरक। एससीआर 751

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[2008] 6 एससीआर 653

संदर्भित किया गया है

पैरा 71

[2018] 1 एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

पैरा 72

[2012] 13 एससीआर 47

प्रतिष्ठित

पैरा 76

[1953] एससीआर 533

प्रतिष्ठित

पैरा 76

सिविल अपीलेट/इनहेरेंट

न्यायनिर्णयः विशेष।

अनुमति याचिका (सिविल) सं। 31982-31983 2013 से।

19.09.2013 और 20.09.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 के ए. एन. सं. 414 और 2008 के एस. एन. सं. 414 में क्रमशः बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक कार्य।

के साथ सिविल अपील संख्या 3396 में 2015 की पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 2856

2015 से।

एफ. एस. नरीमन, डॉ. ए. एम. सिंघवी, राकेश द्विवेदी, मुकल

रोहतगी, गोपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रोहन केलकर, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री ताहिरा करंजावाला, सुश्री नताशा सहरावत, अर्जुन शर्मा, सुभाष शर्मा, सुश्री ओल्गा लुम परेरा, करमवीर सिंह आनंद, जसवीर सिंह सभरवाल, मेसर्स। करंजावाला एंड कंपनी, महेश अग्रवाल, सुश्री हेमलता जैन, अंकुर सहगल, नूरुद्दीन ढिल्ला, अनिरुद्ध हरियानी, नस्ली नेविल वाडिया बनाम।

IVORY संपत्तियाँ और ORS।

सुश्री सुखदा वागले, सुश्री पारुल शुक्ला, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री पूर्णिमा भट, सुश्री गरिमा प्रसाद, कौशिक पोद्दार, अभिमन्यु भंडारी, अविष्कार सिंघवी, सुश्री रूहिना दुआ, चैतन्य मदान, सुश्री नट्टाशा गर्ग, सुश्री गौरी ऋषि, सुश्री रंजीता रोहतगी, अराव पंडित, नवीन कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. यह संदर्भ इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांकित 17.8.2015 के आदेश के माध्यम से दिया गया है, जिसमें इसकी शुद्धता पर संदेह किया गया है।

फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। प्रवीण डी. देसाई (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

और अन्य, (2015) 6 एस. सी. सी. 412 महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा अंतःस्थापित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') की धारा 9 ए में निहित व्याख्या प्रावधानों के संबंध में। यह राय दी गई है कि धारा 9 ए के तहत "अधिकार क्षेत्र" शब्द सीमा के मुद्दे को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है क्योंकि अभिव्यक्ति का उपयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और यह धन या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत पारंपरिक परिभाषा तक सीमित नहीं है, कमलाकर एकनाथ सालुंखे बनाम में निर्णय। बाबूराव विष्णु जवालकर और अन्य। , (2015) 7 एस. सी. सी. 321, विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए, पांडुरंग ढोंडी चौगुले और अन्य मामलों में बड़ी पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए अनुचित है।

वी. मारुति हरि जाधव और अन्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 153 के साथ-साथ अन्य बड़ी पीठ के निर्णय। 2. कमलाकर एकनाथ सालुंखे (ऊपर) में इस न्यायालय ने राय दी है कि सीमा के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है -

धारा 9 के तहत अधिकार क्षेत्र, विचारों में विचलन के कारण संदर्भ दिया गया है।

3. यह प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होता है कि 'ऐसे वाद पर विचार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता' अभिव्यक्ति की व्याख्या में उपयोग किया गया है।

प्रक्रिया (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1977। इसके निरसन के बाद इसे 19.12.1977 से प्रभावी रूप से फिर से अधिनियमित किया गया था। यह आवश्यक महसूस किया गया कि संसद द्वारा संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से सी. पी. सी. में किए गए व्यापक संशोधन के बाद इसे 1.2.1977 से फिर से पेश किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. इस मुद्दे पर आगे विस्तार करने से पहले, हम इस पर विचार करते हैं।

उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख करने के लिए उपयुक्त

में धारा 9 क के प्रवर्तन के समय कठोर अधिनियमन

1970. निम्नलिखित रूप में उद्देश्यों और कारणों का कथन है

राजपत्र में दिनांक 15.12.1969 में लिखा हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

पुर्तगाली बनाम बोर्गेस, (1958) 60 बॉम। एल. आर. 660 यह है कि बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट अंतरिम राहत नहीं दे सकता या इसकी आवश्यकता नहीं है

अधिकार क्षेत्र के प्रश्न में न जाएँ। कभी-कभी घोषणात्मक

के तहत एक वैध सूचना के बिना शहर के न्यायालय में मुकदमे दायर किए जाते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80। इस पर भरोसा करें

7 तारीख को दर्ज किया गया उच्च न्यायालय का एक और फैसला सितंबर 1961 में 1960 की अपील No.191 में, यह किया गया है

एक के लिए प्रस्ताव की सूचना को स्थगित करने के लिए सिटी कोर्ट का अभ्यास

वादी को नोटिस देने का समय। अवधि समाप्त होने के बाद नोटिस के बाद, वादी को स्वतंत्रता के साथ मुकदमा वापस लेने की अनुमति है

एक नया दर्ज करने के लिए। बीच की अवधि में, न्यायालय अनुदान देता है

एक विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा और वही जारी है। यह अभ्यास के प्रश्न में गए बिना, निषेधाज्ञा देने का

अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बावजूद, गंभीर दुरुपयोग हुआ है। यह है।

इसलिए यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि यदि अधिकार क्षेत्र का कोई प्रश्न है देने या स्थापित करने के लिए किसी भी आवेदन की सुनवाई में उठाया गया

अंतरिम राहत देने वाले आदेश को दरकिनार करते हुए, न्यायालय निर्धारित करेगा

सबसे पहले यह सवाल।

एस. के. वांखेडे

नागपुर, दिनांक 6 दिसंबर 1969

विधि मंत्री।

एस. एच. बेलावाडी

नागपुर दिनांक 15 दिसंबर 1969

सचिव

महाराष्ट्र विधान सभा "।

धारा 9 ए के प्रावधानों को लागू करने का कारण

महाराष्ट्र यह था कि मुकदमे सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत बिना किसी सूचना के दायर किए जाते थे। यह ई के बिना सूट की स्थापना पर प्रतिबंध से संबंधित है। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, वादी हुआ करता था

एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया v में नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमा वापस लेने के लिए।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

बीच की अवधि। न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करता था और इसे जारी रखता था। अधिकार क्षेत्र के प्रश्न में गए बिना निषेधाज्ञा देने की प्रथा से कानून के प्रावधानों का गंभीर दुरुपयोग हुआ है। इस प्रकार, यह प्रस्ताव किया गया था कि यदि अंतरिम राहत देने वाले आदेश को देने या रद्द करने के लिए किसी भी आवेदन की सुनवाई में अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया जाता है, तो न्यायालय पहले उस प्रश्न का निर्धारण करेगा। धारा 9 ए के प्रावधान, जैसा कि शुरू में 1970 में पेश किया गया था, यहाँ नीचे दिए गए हैं:

" 9 ए. (1) यदि, किसी भी अंतरिम राहत देने वाले आदेश को देने या रद्द करने के लिए किसी भी आवेदन की सुनवाई में, चाहे

आवेदन की सुनवाई और निपटान न्यायालय द्वारा किया जाएगा यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी मामले में वाद की सुनवाई के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में, न्यायालय ऐसी अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है जो वह अपने द्वारा निर्धारित किए जाने तक आवश्यक माने।

अधिकारिता के रूप में प्रारंभिक मुद्दे का "।

5. वर्ष 1977 में धारा 9 ए को फिर से लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण एक ही है। इसे थोड़े संशोधित रूप में फिर से लागू किया गया है। वर्ष 1977 में पुनः अधिनियमित प्रावधानों के उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

सिविल प्रक्रिया संहिता (हैदराबाद संशोधन) अधिनियम, 1953 (हैदराबाद) द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अपने आवेदन में संशोधन किया गया। 1953 का XI), सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पढ़ा गया

(हैदराबाद संशोधन का विस्तार) अधिनियम, 1964 (माह। VI का

1965) और सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र) के अनुसार

संशोधन) अधिनियम, 1970 (माह. 1970 का XXV)। 1953 के पहले राज्य अधिनियम द्वारा, [2019] 15 एस. सी. आर. के अनुसरण में जारी की गई नीतियों के तहत देय राशियों को छूट देने के लिए धारा 60 (1) के परंतुक में संशोधन किया गया है।

आदेश के निष्पादन में कुर्की से हैदराबाद राज्य जीवन बीमा और भविष्य निधि के लिए नियम। 1970 के दूसरे राज्य अधिनियम द्वारा, एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक नई धारा 9-ए जोड़ी गई है जिसके तहत एक आवेदन, जिसमें अंतरिम राहत दी गई है।

किसी भी वाद में अलग रखने की मांग की जाती है या की जाती है और अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति ली जाती है, ऐसे मुद्दे पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

आवेदन की सुनवाई में एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में। इस राज्य के बॉम्बे क्षेत्र में लागू होने वाली संहिता में सिविल प्रक्रिया संहिता (बॉम्बे) द्वारा भी संशोधन किया गया है।

प्रक्रिया (हैदराबाद दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1953 (हाइड। 1953 का 18 वां)। 1948 का पहला राज्य अधिनियम स्थानीय प्राधिकरण के पेंशनभोगियों को कुर्की, वजीफे और उपदान से छूट देने के लिए धारा 60 (1) के प्रावधान में संशोधन करता है। 1953 के दूसरे राज्य अधिनियम ने केंद्र सरकार, पूर्व हैदराबाद राज्य की सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा पिछली सेवाओं या वर्तमान दुर्बलताओं के कारण या अनुकंपा भत्ते के रूप में दी गई या जारी रखी गई पेंशन को कुर्की से छूट देने के लिए धारा 60 (1) के प्रावधान में भी संशोधन किया है। 2. संसद द्वारा अधिनियमित सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का सी. आई. वी.) द्वारा संहिता में व्यापक संशोधन किया गया है। इस संशोधन अधिनियम की धारा 97 में यह प्रावधान किया गया है कि उस अधिनियम के प्रारंभ से पहले राज्य विधानमंडल द्वारा संहिता में किए गए किसी भी संशोधन को छोड़कर, जहां तक वे संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित संहिता के अनुरूप हैं, निरस्त कर दिया जाएगा। जब तक कोई आधिकारिक न्यायिक घोषणा नहीं होती है, तब तक यह कहना मुश्किल है कि राज्य का कौन सा

निरस्त कर दिया। राज्य द्वारा संहिता में किए गए सभी संशोधन 1948 के राज्य अधिनियम द्वारा धारा 60 (1) के परंतुक में किए गए संशोधन को छोड़कर अधिनियम उपयोगी हैं और इनके लिए आवश्यक हैं:

जारी रखा। 1948 के राज्य अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अब संशोधन के दायरे में आता है।

1976 के केंद्रीय संशोधन अधिनियम द्वारा उक्त परंतुक के खंड (छ) में बनाया गया। लेकिन किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने के लिए कि क्या शेष राज्य संशोधन लागू रहते हैं या निरस्त हो जाते हैं, यह प्रस्तावित किया जाता है कि पुराने संशोधन USLI NEVILLE WADIA v. होने चाहिए।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

औपचारिक रूप से निरस्त और उनके स्थानों पर समान संशोधनों को अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की सहमति के साथ फिर से अधिनियमित किया जा सकता है। 254 (2) संविधान की धारा, ताकि वे पहले की तरह इस राज्य में प्रबल बने रहें और उपलब्ध रहें। विधेयक का उद्देश्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

3. खंडों पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ इन खंडों के उद्देश्यों की व्याख्या करती हैं:

प्रस्तावना। - यह प्रस्तावित कानून की पृष्ठभूमि और मुख्य कारण बताता है।

खंड 2 और 3। - खंड 2 औपचारिक रूप से 1970 के राज्य अधिनियम और उसके द्वारा जोड़ी गई नई धारा 9 ए को निरस्त करता है, ताकि खंड 3 द्वारा उसी धारा को थोड़े संशोधित रूप में फिर से अधिनियमित करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

खंड 4. - चूंकि 1948 के राज्य अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन 1976 के केंद्रीय संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 60 (1) के प्रावधान में शामिल है, इसलिए इस अधिनियम और उसके द्वारा किए गए संशोधन को निरस्त करने का प्रस्ताव है।

खंड 5 और 6। - खंड 5 औपचारिक रूप से 1953 के दो राज्य अधिनियमों को निरस्त करता है जिसके द्वारा धारा 60 (1) के परंतुक को कुर्की से कुछ अतिरिक्त छूट देने के लिए संशोधित किया गया था। खंड 6 इन संशोधनों को आवश्यक मसौदा परिवर्तनों के साथ वापस लाता है।

हुसैन एम. दलवई,

कानून और न्यायपालिका मंत्री "।

5 वीं तारीख

अक्टूबर 1977।

वर्ष 1977 में पुनः अधिनियमित धारा 9 ए के प्रावधानों में सी. पी. सी. या उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों से संबंधित एक गैर-अबाधित खंड शामिल था। 1977 में पुनः प्रस्तुत की गई धारा 9 ए को नीचे निकाला गया है:

" 9 ए. जहाँ किसी वाद में अंतरिम राहत से संबंधित आवेदन की सुनवाई, अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति ली जाती है, ऐसे मुद्दे पर न्यायालय द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया जाना है। - (1) इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि, किसी आवेदन की सुनवाई के समय किसी भी अंतरिम राहत देने वाले आदेश को देने या रद्द करने के लिए, चाहे वह रोक, निषेधाज्ञा, प्राप्तकर्ता की नियुक्ति या [2019] 15 एस. सी. आर. के माध्यम से हो।

अन्यथा, किसी भी वाद में, ऐसे वाद पर विचार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता पर आपत्ति, वाद के किसी भी पक्ष द्वारा ली जाती है, न्यायालय इस तरह के आवेदन की सुनवाई में अधिकारिता के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

अंतरिम राहत। ऐसे किसी भी आवेदन की सुनवाई अदालत द्वारा जितनी जल्दी हो सके की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा और किसी भी मामले में मुकदमे की सुनवाई के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में, न्यायालय अपने द्वारा निर्धारण किए जाने तक ऐसी अंतरिम राहत दे सकता है जो वह आवश्यक समझे।

अधिकारिता के रूप में प्रारंभिक मुद्दे का "।

धारा 9 ए के प्रावधान अदालत को अंतरिम निषेधाज्ञा देने या उसे दरकिनार करने के लिए आवेदनों पर विचार करने में सक्षम बनाते हैं। "ऐसे वाद पर विचार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता" के रूप में आपत्ति से निपटने के लिए एक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति या अन्यथा, प्रारंभिक मुद्दे के रूप में और यह मामले को वाद की सुनवाई के लिए स्थगित नहीं करेगा। अधिकारिता के रूप में प्रारंभिक मुद्दे के निर्धारण के लिए लंबित, न्यायालय है

धारा 9 ए (2) के अनुसार अंतरिम राहत देने के लिए सक्षम है जैसा कि वह विचार कर सकता है।

आवश्यक है।

6. घोषणा द्वारा 27.06.2018 पर महाराष्ट्र राज्य

"सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, 2018" ने संहिता की धारा 9-ए को हटा दिया है।

महाराष्ट्र राज्य)। अध्यादेश की धारा 3 निम्नानुसार प्रदान की गई हैः

" (1) जहां धारा 9 ए के तहत बनाए गए प्रारंभिक मुद्दे पर विचार सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, 2018 (इसके बाद, इस धारा में, जिसे "संशोधन" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रारंभ की तारीख को लंबित है। अध्यादेश), उक्त मुद्दे को मूल अधिनियम के आदेश XIV के तहत तैयार किया गया मुद्दा माना जाएगा और इसका निर्णय इस प्रकार किया जाएगा -

न्यायालय, जैसा कि वह उचित समझता है, अन्य सभी मुद्दों के साथ, उस समय

मुकदमे के अंतिम निपटारे के लिए "।

यह प्रावधान किया गया था कि धारा 9 ए के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दे को सी. पी. सी. के आदेश XIV के तहत एक मुद्दे के रूप में माना जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय द्वारा अन्य मुद्दों के साथ जो वह उचित समझे।

उपरोक्त अध्यादेश नस्ली नेविल वाडिया v. IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

इसे सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का महाराष्ट्र अधिनियम No.LXI) (पहला संशोधन अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

7. 15.12.2018 पर, महाराष्ट्र राज्य ने "संहिता" लागू की।

सिविल प्रक्रिया (महाराष्ट्र संशोधन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 "(दूसरा संशोधन अधिनियम)। अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार हैः

" 2. सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र) की धारा 3 में

प्रतिस्थापित किया जाएगा और इसके साथ प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा 27 जून, 2018 से प्रभावी, शुरुआत की तारीख

उक्त अधिनियम का, अर्थात्ः

" (1) जहाँ के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किया जाता है

धारा 9 ए संहिता के प्रारंभ होने की तारीख को लंबित है।

सिविल प्रक्रिया (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018

(इसके बाद, इस धारा में, जिसे "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)

उक्त मुद्दे का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा।

धारा 9 ए, मानो उक्त धारा 9 ए को हटाया नहीं गया है।

यह प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय ने किसी मुद्दे पर निर्णय लेने का आदेश दिया है

धारा 9 ए को हटाने की तारीख से पहले एक प्रारंभिक मुद्दा, यह अदालत द्वारा एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाएगा। इसलिए इस मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक हो गया है।

8. सी. पी. सी. के आदेश XIV नियम 2 में निहित प्रावधान भी

सी. पी. सी. प्रावधानों में वर्ष 1977 में किए गए संशोधन से पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में जिन मुद्दों और प्रश्नों का परीक्षण किया जा सकता है, उन्हें तैयार करने से संबंधित है। आदेश XIV का नियम 2 इस प्रकार हैः

" 2. जहाँ एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामला या उसका कोई भाग

केवल कानून के मुद्दों पर निपटाया जाए, यह उन मुद्दों का परीक्षण करेगा

सबसे पहले, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो स्थगित कर सकता है

कानून के मुद्दों के बाद तक तथ्य के मुद्दों का निपटान

तय किया गया "।

(जोर दिया गया)

यह आदेश XIV के पूर्व-संशोधित प्रावधानों से स्पष्ट है।

नियम 2 में कहा गया है कि केवल कानून के प्रश्न का प्रारंभिक मुद्दे के रूप में परीक्षण किया जा सकता था, न कि तथ्यों का प्रश्न या कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न, वह भी जब कानून के मुद्दे पर निर्णय द्वारा मामले या भाग का निपटारा किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. 1976 में सी. पी. सी. में संशोधन 1.2.1977 पर लागू हुआ।

आदेश XIV का संशोधित नियम 2 यहाँ नीचे निकाला गया हैः

न्यायालय, उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा। (2) जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का परीक्षण कर सकता है।

यदि वह मुद्दा संबंधित है

((क) न्यायालय की अधिकारिता, या
(ख) तत्काल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा बनाए गए वाद पर रोक, और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार वाद से निपट सकता है।

संशोधित प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है

आदेश XIV नियम 2 में निहित। अब यह न्यायालय को आदेश देता है कि

अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अपील योग्य मामले में रिमांड। में। यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो आदेश XIV नियम 2 (2) न्यायालय को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून के मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, यदि वह (1) न्यायालय की अधिकारिता या (2) वाद पर रोक से संबंधित है।

उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा बनाया गया। इसके बाद

वर्ष 1977 में सी. पी. सी. में किया गया संशोधन, इसमें दो गुना प्रावधान है, मुकदमे पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र का सवाल किया गया है

नियम 2 (2) (ए) के तहत नियम 2 (2) (बी) की अभिव्यक्ति से अलग किया गया है "किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए एक बार" जो उस समय लागू है।

10. कमलाकर एकनाथ सालुंखे (ऊपर) में, के बारे में

धारा 9 ए का ढोंग करते हुए, यह राय दी गई है कि शब्द क्षेत्राधिकार

धारा 9 ए का उपयोग संकीर्ण अर्थों में रखरखाव के लिए किया जाता है, केवल अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर और यह संधि के मुद्दों पर विचार नहीं करता है। न्यायालय ने कहा हैः

" 16. धारा 9-ए में "अधिकार क्षेत्र" अभिव्यक्ति का उपयोग एक में किया जाता है संकीर्ण अर्थ में, अर्थात्, यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम मुकदमे पर विचार करने का न्यायालय का अधिकार।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

सीमा पर। इस प्राधिकरण की सीमाएँ एक द्वारा लगाई जाती हैं

कानून, चार्टर या आयोग। यदि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो अधिकार क्षेत्र को असीमित कहा जाता है। विषय वस्तु के मूल्य, स्थान और प्रकृति के संबंध में अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, आर्थिक अधिकार क्षेत्र और विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र में वर्गीकरण मौलिक है। निस्संदेह, किसी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभिन्न परिस्थितियों द्वारा प्रतिबंधित हो सकता है। किसी कानून, चार्टर या आयोग में उल्लिखित। न्यायालय का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र कानून और वाद के विषय द्वारा निर्धारित आर्थिक और क्षेत्रीय सीमाओं पर निर्भर करता है। जबकि मुकदमा विशिष्ट के साथ गैर-अनुपालन के कारण वर्जित किया जा सकता है

कानून के प्रावधानों में, यह नहीं है कि उक्त प्रावधानों का गैर-अनुपालन एक दोष है जो अंतर्निहित को दूर कर देता है

किसी वाद का परीक्षण करने या डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता। परिसीमा का कानून एक पक्ष पर एक मुकदमे में अदालत के समक्ष एक मामले को आंदोलन करने के लिए बार पर काम करता है, या अन्य कार्यवाही जिसमें अदालत के पास विचार करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है लेकिन कानून के संचालन द्वारा।

सीमित होने पर, यह निर्णय की गारंटी नहीं देगा। 20. संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि धारा 9-ए

केवल अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर रखरखाव और सीमा के मुद्दों पर विचार नहीं करता है। अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए संहिता में धारा 9-ए डाली गई है, जहां एक वादी एक प्रतिवादी को गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की सुनवाई के लिए खींचता है जब

स्वयं न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संदिग्ध है।

21. तत्काल मामले में, निचली अदालत द्वारा तैयार किया गया प्रारंभिक मुद्दा सीमा के सवाल के बारे में है। इस तरह का मुद्दा अदालत के अधिकार क्षेत्र में कोई मुद्दा नहीं होगा और इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, निचली अदालत ने अपनी शक्ति का उपयोग करके सीमा के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तैयार करना उचित नहीं माना। संहिता की धारा 9-ए के तहत। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा बनाए गए प्रारंभिक मुद्दे को मंजूरी देते हुए धारा 9-ए के वैधानिक दायरे पर विचार नहीं करने में गलती की है और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

11. जहाँ फोरशोर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) के हाल के निर्णय में यह माना गया है कि अलाकर एकनाथ सालुंखे (ऊपर) में निर्णय कानून के विपरीत है।

अधिकारिता के साथ, और यदि उठाया जाता है, तो न्यायालय को इसे धारा 9 ए के तहत एक खनिज मुद्दे के रूप में परीक्षण करना होगा जैसा कि राज्य में लागू होता है।अरास्ट्र। फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एड (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कहा हैः

" 56. बहुत सम्मान के साथ, हमारा विचार है कि निर्णय

कमलाकर एकनाथ सालुंखे बनाम में खंड पीठ द्वारा प्रस्तुत। बाबूराव विष्णु जवालकर (2015) 7 एस. सी. सी. 321 इसके विपरीत है।

संविधान पीठ द्वारा तय किया गया कानून और तीन-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ, पांडुरंग ढोंडी चौगुले बनाम।

मारुति हरि जाधव (पाँच-न्यायाधीश पीठ), ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 153

बिनि उनाव मानिक चन्द्र नंदीआव गुबुन डिवीजन बेंचाफोर दं।

वी. देबदास नंदी, (1986) 1 एस. सी. सी. 512, एनटीपीसी लिमिटेड बनाम। सीमेंस एक्टिएंगेसेलशाफ्ट, (2007) 4 एस. सी. सी. 451, आधिकारिक न्यासी बनाम। सचिंद्र नाथ चटर्जी, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 823, आई. टी. डब्ल्यू. सिग्नोड इंडिया लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई. (2004) 3 एस. सी. सी. 48 और कमलेश बाबू बनाम। लाजपत राय शर्मा (2008) 12 एस. सी. सी. 577। संविधान पीठ का निर्णय और वृहद पीठ द्वारा दिए गए अन्य निर्णय हम पर बाध्यकारी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन निर्णयों को नहीं लाया गया है

एक विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए खंड पीठ की सूचना।

61. श्री नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी ने रमेश बी. देसाई के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया

वी. बिपिन वाडिलाल मेहता, (2006) 5 एस. सी. सी. 638, इस प्रस्ताव के लिए कि सीमा की याचिका को तथ्यों से अलग कानून के एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर मामले में सीमा के प्रारंभिक बिंदु का पता लगाना पड़ता है जो पूरी तरह से एक प्रश्न है तथ्य। सीमितता का निवेदन कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। हमारी सुविचारित राय में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्णय में, यह न्यायालय आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. के प्रावधान पर विचार कर रहा था। आदेश 14 नियम 2 के प्रावधान की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय का विचार था कि सीमा के मुद्दे पर, कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न होने के कारण, अन्य मुद्दों के साथ निर्णय लिया जाना चाहिएः

आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. के तहत विचार किया गया। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम की धारा 9-ए आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया से पूरी

तरह से अलग है। धारा 9-ए अदालत को एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम पर निर्णय लेने का आदेश देती है।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

वाद पर कार्यवाही करने से पहले न्यायालय की अधिकारिता और

धारा 9-ए में 1977 के महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम और धारा का स्पष्ट अधिदेश, कानून का उद्देश्य यह तय करना है कि आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. में निहित प्रावधान के बावजूद प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित मुद्दा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य मामलों में जहां मुकदमे आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, यह है -

कानून के आधार पर मुद्दे का फैसला करने के लिए अदालत का विवेकाधिकार

एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में "।

यह भी देखा गया है कि जहां मुकदमों को नियंत्रित किया जाता है

आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेना न्यायालय का विवेकाधिकार है।

प्रस्तुतियाँ

12. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एफ. एस. नरीमन ने फोरशोर में यह निर्णय प्रस्तुत किया है।

कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) को सही ढंग से कानून बनाने वाला नहीं कहा जा सकता है। सी. पी. सी. प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न पर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारिता शब्द का उपयोग संकीर्ण अर्थों में किया गया है और धारा 9-ए में किसी मुकदमे के कानून के किसी अन्य प्रावधान द्वारा वर्जित होने का सवाल शामिल नहीं है। मेहर सिंह बनाम में निर्णय। दीपक साहनी, 1998 (3) एम. एल. जे. 940 और स्मिथक्लाइन बीचम उपभोक्ता उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा बनाम। बॉम्बे उच्च न्यायालय का हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1337 इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून का सीधे उल्लंघन है। परिसीमन का अनुरोध कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और इसे तथ्यों से अलग एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। सीमा के प्रारंभिक बिंदु का पता लगाना होगा, जो पूरी तरह से प्रत्येक मामले में तथ्यों का सवाल है। पांडुरंग ढोंडी चौगुले (ऊपर) में, यह न्यायालय संहिता की धारा 115 के दायरे की व्याख्या से संबंधित था। धारा 115 के प्रावधानों के कारण जब संशोधन में हस्तक्षेप किया जा सकता है, तो यह देखा गया है कि सीमा [2019] 15 एस. सी. आर.

अधिकार क्षेत्र। कमलाकर एकनाथ सालुंखे (ऊपर) में निर्णय

इनक्यूरियम के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार, डिवीजन बेंच के लिए फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग में एक अलग दृष्टिकोण लेना खुला नहीं था।

सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) जब महाराष्ट्र विधानमंडल ने जानबूझकर धारा 9ए को फिर से अधिनियमित करने का विकल्प चुना है, तो उसने इस पद का उपयोग किया है कि उस मुकदमे के बारे में अधिकार क्षेत्र को किसी अन्य कानून द्वारा कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें सीमा का कानून भी शामिल नहीं किया गया है। संशोधित आदेश XIV नियम 2 को देखते हुए, प्रारंभिक मुद्दा केवल कानून का एक शुद्ध प्रश्न हो सकता है।

13. उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी, श्री मुकुल रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री गोपाल जैन ने कहा कि आदेश XIV नियम 2, सी. पी. सी. अभिव्यक्ति को आपत्ति समझने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है

ऐसे वाद पर विचार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता। 1970 में अधिनियमित और वर्ष 1977 में पुनः अधिनियमित प्रावधान वही है। पुनः परिचय का उद्देश्य 1976 के सी. पी. सी. संशोधन अधिनियम से पहले जो अधिनियमित किया गया था उसे बनाए रखना और जारी रखना था। सी. पी. सी. की धारा 9ए के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश XIII नियम 1 के तहत, पक्षकार

मूल दस्तावेजों को उस दिन या उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है

मुद्दों का समाधान। आदेश XII के तहत, पक्ष दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए नोटिस दे सकते हैं। आदेश XII नियम 6 के तहत, स्वीकार किए गए तथ्यों पर भी निर्णय दिया जा सकता है। फ्रेमिंग से पहले ये चरण हैं

आदेश XIV के तहत जारी किया गया। 14. नतीजतन, आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत, न्यायालय मुद्दों पर विचार करते समय किसी भी मामले में स्वीकार किए गए तथ्यों पर गौर करने का हकदार होगा।

मामला। आदेश XIV नियम 4 के तहत, न्यायालय मुद्दों को तैयार करने से पहले एक गवाह और दस्तावेजों की जांच कर सकता है। इसलिए, न्यायालय को सीमा के मुद्दों पर निर्णय लेने से रोकने का कोई उचित कारण नहीं है।

प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़, विशेष रूप से यदि वे स्वीकार किए गए दस्तावेज़ हैं।

15. उत्तरदाताओं की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 9ए में उपयोग की गई अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार को अंतर्निहित शब्द द्वारा योग्य होने की आवश्यकता नहीं है, जो क़ानून को फिर से लिखने के बराबर होगा और धारा 9ए को दिए जाने वाले प्रासंगिक अर्थ के खिलाफ होगा। प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्तियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि क़ानून और धारा 80 द्वारा बनाई गई बाधा को शामिल करना एक उदाहरण है। इस प्रकार, आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) में

उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'किसी भी समय लागू कानून के तहत वर्जित' धारा एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया v द्वारा कवर की गई है।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

9 ए. आदेश XIV नियम 2 (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति के संबंध में, न्यायालय कानून के मुद्दे को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय कर सकता है जिसका उपयोग धारा 9 ए में नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रावधान एक व्यापक स्पेक्ट्रम तैनात करता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमे का त्वरित समापन महत्वपूर्ण है यदि किसी मामले का निर्णय अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ सीमा के बिंदु पर भी किया जा सकता है, तो मामले को लंबित रखने का कोई तर्क नहीं है। इस प्रकार, धारा 9 ए त्वरित न्याय के विचार को पुष्ट करती है। चूंकि धारा 9 ए को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है, इसलिए इसका आदेश XIV नियम 2 पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ेगा। इस प्रावधान को किसी भी तरह से तर्कहीन या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यदि शिकायत इंगित करती है कि यह सीमा द्वारा वर्जित है, तो क्या तथ्य को देखा जा सकता है और प्रारंभिक मुद्दे के रूप में क्या परीक्षण किया जा सकता है, यह क़ानून के प्रावधान की प्रकृति और इसके पीछे की सार्वजनिक नीति पर निर्भर करेगा। फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय ने कानून को सही ढंग से निर्धारित किया है।

इन आरईः शब्द न्यायनिर्णयन का अर्थ

16. न्यायक्षेत्र निर्णय लेने की शक्ति है न कि केवल शक्ति

सही निर्णय लेने के लिए। अधिकारिता आधिकारिक रूप से कार्य करने का कानून का अधिकार है। हाथ में किसी विशेष मामले में आधिकारिक रूप से कार्य करना कानून का अधिकार है। यह संज्ञान लेने और मामलों का फैसला करने की शक्ति है। यह सही या गलत निर्णय लेने की शक्ति है। यह सुनने और निर्धारित करने की शक्ति है। यही न्यायिक कार्यवाही की नींव है। यह निर्णय की शुद्धता पर निर्भर नहीं करता है। यह न्यायसंगत विवाद को तय करने की शक्ति है और इसमें कानून के प्रश्नों के साथ-साथ गुण-दोष पर तथ्य भी शामिल हैं। न्यायक्षेत्र सुनने और निर्धारित करने का अधिकार है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई निर्णय सही है या गलत। क्षेत्राधिकार का अर्थ है किसी मुकदमे पर विचार करने, गुण-दोष पर विचार करने और बाध्यकारी निर्णय देने की शक्ति, और "गुण-दोष" का अर्थ है विभिन्न तत्व जो वादी के मांगी गई राहत के अधिकार में प्रवेश करते हैं या अर्हता प्राप्त करते हैं। यदि कानून निर्णय या डिक्री देने की शक्ति प्रदान करता है, तो अदालत के पास अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय का विषय वस्तु पर नियंत्रण होना चाहिए, जो कानून की वर्गीकरण सीमाओं के भीतर आता है जिसके तहत न्यायालय स्थापित है और कार्य करता है।

17. क्षेत्राधिकार शब्द लैटिन शब्द "ज्यूरिस" और "डिको" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "मैं कानून द्वारा बोलता हूं" और एक दूसरे के बीच पक्षों के अधिकारों से नहीं बल्कि अदालत की शक्ति से संबंधित है। क्षेत्राधिकार उन मामलों के एक वर्ग से संबंधित है जिनसे एक विशेष मामला संबंधित है। क्षेत्राधिकार वह प्राधिकरण है जिसके द्वारा एक न्यायिक अधिकारी संज्ञान लेता है और मामलों का फैसला करता है। यह केवल एक विधिवत गठित न्यायालय [2019] 15 एस. सी. आर. के अस्तित्व का अनुमान लगाता है।

विषय-वस्तु पर नियंत्रण रखना जो उस कानून की वर्गीकरण सीमाओं के भीतर आता है जिसके तहत न्यायालय की स्थापना की गई है। इसका पक्षकार वादी पर नियंत्रण होना चाहिए, पक्षकारों के क्षेत्र पर नियंत्रण होना चाहिए, यह कर सकता है

धन संबंधी मामलों के साथ-साथ मामलों के वर्ग की प्रकृति से भी संबंधित है। क्षेत्राधिकार को आम तौर पर निर्णय लेने, निर्णय देने, तथ्यों की जांच करने, कानून को लागू करने और निर्णय देने के अधिकार के रूप में समझा जाता है। जब कार्य करने के लिए सामान्य शक्ति की कमी होती है, तो न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। जब अदालत के पास तथ्यों की जांच करने, कानून लागू करने, बाध्यकारी निर्णय देने और इसे लागू करने की शक्ति होती है, तो अदालत के पास अधिकार क्षेत्र होता है। किसी अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्णय को अक्षमता के आधार पर संपार्श्विक हमले से मुक्त होना चाहिए। इसका सुनवाई और निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण या न्यायालय की संवैधानिक और वैधानिक शक्ति के साथ सह-संबंध है। इसका अर्थ है मूल रूप से मनोरंजन करने, सुनने और निर्धारित करने की शक्ति या क्षमता।

18. मनोरंजन के लिए अधिकारिता गुण, अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में त्रुटि या अधिकार क्षेत्र की अधिकता से अलग है।

19. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और अदालतों को सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार देती है जब तक कि यह वर्जित न हो।

धारा 9 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

" 9. अदालतें सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई तब तक करें जब तक कि वे प्रतिबंधित न हों।

न्यायालयों को (इसमें निहित प्रावधानों के अधीन) उन मुकदमों को छोड़कर नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

स्पष्टीकरण I-एक मुकदमा जिसमें संपत्ति या पद के अधिकार का विरोध किया जाता है, वह नागरिक प्रकृति का मुकदमा है, इसके बावजूद कि ऐसा अधिकार पूरी तरह से प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर हो सकता हैः

धार्मिक संस्कारों या समारोहों के लिए।

स्पष्टीकरण II-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह मायने नहीं रखता कि स्पष्टीकरण I में निर्दिष्ट कार्यालय से कोई शुल्क संलग्न है या नहीं या ऐसा कार्यालय किसी पद से संलग्न है या नहीं।

विशेष स्थान "।

20. 1882 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में उपयोग किए गए शब्द "उस समय लागू किसी भी अधिनियम द्वारा वर्जित" हैं -

1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में "या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार, धारा 9 के तहत "अधिकार क्षेत्र" शब्द संज्ञान से संबंधित है, यानी, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित नहीं है।

नस्ली नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

21. राजा साबुन कारखाना बनाम। एस. पी. शांतराज, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1449,1450 में, यह देखा गया है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अर्थ निर्धारित न्याय का प्रशासन करने के लिए न्यायालय के अधिकार की सीमा है।

विषय-वस्तु, आर्थिक मूल्य और स्थानीय सीमाओं से संबंधित।

22. ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्र। , (1988) 2 एस. सी. सी. 602, यह देखा गया है कि अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार या निर्धारित करने के लिए बार कई रंगों की मौखिक कास्ट है। न्यायक्षेत्र एक कानूनी आश्रय है-निर्णय में संभावित त्रुटि के बावजूद बाध्य करने की शक्ति। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 142. अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र" या निर्धारित करने की शक्ति, यह कहा जाता है, कई रंगों का एक मौखिक कास्ट है। न्यायाधिकरण के मामले में, कानून की त्रुटि न केवल अधिकार क्षेत्र में एक त्रुटि बन सकती है, बल्कि अधिकार क्षेत्र की त्रुटि भी हो सकती है। हालाँकि, अन्यथा, अधिकार क्षेत्र एक 'कानूनी आश्रय' है-निर्णय में संभावित त्रुटि के बावजूद बाध्य करने की शक्ति। अधिकारिता का अस्तित्व इसके प्रयोग की शुद्धता पर निर्भर नहीं करता है।

निर्णय लेने का अधिकार त्रुटि के बावजूद बाध्य करने के विशेषाधिकार का प्रतीक है, एक ऐसा विशेषाधिकार जो प्रत्येक न्यायिक कार्य में निहित और अनिवार्य है। न्यायिक अधिनियम की विशेषता यह है कि यह बाध्य करता है कि यह सही है या गलत। मलकारजुन बिन में

ऐसा करते हुए अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही थी। इसने एक दुखद गलती की, यह सच है, लेकिन एक अदालत के पास गलत के साथ-साथ सही का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है। यदि वह गलत निर्णय लेता है, तो गलत पक्ष केवल मामलों को सही करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ले सकता है और यदि वह निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निर्णय कितना भी गलत क्यों न हो सकता है। परेशान हो जाओ। "

23. दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली बनाम। लेफ्टिनेंट कर्नल एस. के. लोरैया, (1972) 2 एस. सी. सी. 692, क्षेत्राधिकार शब्द की व्याख्या सेना अधिनियम की धारा 125 के संदर्भ में की गई है ताकि किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए मूल क्षेत्राधिकार को दर्शाया जा सके। अवलोकन निम्नलिखित हैः

" 11. सेना अधिनियम की धारा 125 में प्रावधान है कि जब एक आपराधिक अदालत और एक अदालत-मार्शल के संबंध में प्रत्येक अधिकार क्षेत्र होता है

एक अपराध, यह कमांडिंग अधिकारी [2019] 15 एस. सी. आर. के विवेक में होगा।

सेना, कोई भी कोर, डिवीजन या स्वतंत्र ब्रिगेड जिसमें

अभियुक्त व्यक्ति यह तय करने के लिए सेवा कर रहा है कि किस अदालत के समक्ष

कार्यवाही शुरू की जाएगी, और यदि वह अधिकारी निर्णय लेता है कि

उन्हें कोर्ट-मार्शल के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, वह निर्देश देगा कि आरोपी व्यक्ति को सैन्य हिरासत में रखा जाएगा। धारा 122 (1) और 125 दोनों को सेना अधिनियम के अध्याय X में जगह मिलती है। धारा 125 हमारे इस विचार का समर्थन करती है कि केवल न्यायालय-मार्शल के पास धारा 122 (1) के तहत सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। धारा 125 में "अधिकार क्षेत्र" शब्द वास्तव में किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह उस चरण को संदर्भित करता है जिस पर अदालत में कार्यवाही शुरू की जाती है न कि सामान्य आपराधिक अदालत और कोर्ट-मार्शल के अधिकार क्षेत्र में मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है।

हमारा कहना है कि धारा 549 (1) का अर्थ सेना अधिनियम की धारा 125 के आलोक में लगाया जाना चाहिए। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य सामान्य आपराधिक अदालत और कोर्ट-मार्शल के बीच टकराव से बचना है। इसलिए उन दोनों को एक समान निर्माण प्राप्त होना चाहिए।

24. श्रीमती में। उज्जम बाई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. धारा 9, सी. पी. सी. में प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र शब्द उपहास के लिए सामने आया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकारिता का अर्थ है -

ई और अवलोकन कियाः

" (15) अब, मैं एक विवादास्पद क्षेत्र में आता हूँ। कानून के एक प्रावधान के अनुसरण में अपने अधिकार क्षेत्र के निस्संदेह प्रयोग में एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में क्या स्थिति है जो स्वीकार्य रूप से अधिकार के भीतर है? सबसे पहले यह जरूरी है कि

अधिकारिता की अवधारणा को स्पष्ट करें। अधिकारिता का अर्थ होता है अधिकार

तय करने के लिए। जब भी कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण होता है

कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर निर्णय देने के उद्देश्य से उसकी जांच करने का अधिकार या आवश्यकता, उस पर उसके निष्कर्ष

संपार्श्विक रूप से या प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन अपील पर उलट होने तक बाध्यकारी हैं। जहाँ एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के पास किसी मामले को तय करने का अधिकार क्षेत्र होता है, वह गलत निष्कर्ष पर पहुँचकर अपना अधिकार क्षेत्र नहीं खोता है चाहे वह कानून में गलत हो या वास्तव में। यह प्रश्न कि क्या किसी न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है, उन तथ्यों की सच्चाई या झूठ पर निर्भर नहीं करता है जिनमें वह

इन तथ्यों पर अपने निष्कर्षों की शुद्धता पर पूछताछ करनी होगी, लेकिन उनकी प्रकृति पर, और यह यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया V. में निर्धारित किया जा सकता है।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

जाँचक आरम्भ, निष्कर्ष पर नहि '। (रेक्स वी. बोल्टन [1841] I क्यू. बी. 66। इस प्रकार, एक न्यायाधिकरण को अधिकार दिया गया है

पद के नुकसान के लिए मुआवजे के दावों का निर्धारण करना है

कानून और उससे संबंधित तथ्यों के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र

मुआवजे का माप और पद का कार्यकाल, और

यह उनमें से किसी का निर्धारण करके अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं है।

मायने रखता है.. (हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडन। खण्ड. 11 पृष्ठ 59)। द.

न्यायिक अधिनियम या निर्णय की विशेषता यह है कि यह बाध्य करता है,

चाहे वह सही हो या गलत। कानून या तथ्य की एक त्रुटि

एक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा, सामान्य रूप से, नहीं हो सकता है

शरीर निर्भर करता है। ये सिद्धांत न केवल निष्कर्षों को नियंत्रित करते हैं निचली अदालतों को सख्त ज्ञान लेकिन प्रशासनिक के निष्कर्षों को भी

ऐसे निकाय जो न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे हों। इस तरह

निकायों को गलती करने की शक्ति के साथ निवेश किया गया माना जाता है

उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ; और बशर्ते कि वे इसके दायरे में रहें

उन सीमाओं को, उनके निर्णयों को मान्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि निर्धारित न किया जाए

अपील पर एक तरफ। यहाँ तक कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत भी दिया गया है

इस तरह के निर्णयों पर लागू होता है। (लिविंगस्टोन वी. देखें। वेस्टमिंस्टर

निगम [1904] 2 के. बी. 109; री बर्केनहेड निगम

सोसायटी ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ v. होप [1959] 2 डब्ल्यू. एल. आर. 377. ..... ” 99

(जोर दिया गया)

25. अनवर हुसैन बनाम। अजय कुमार मुखर्जी, आकाशवाणी 1965

651 , यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिव्यक्ति अधिकारिता का अर्थ यह नहीं है कि

आर आक्षेपित कार्य को करने या आदेश देने के लिए, लेकिन आम तौर पर अधिकार

न्यायिक अधिकारी मामले में कार्रवाई करें।

26. एम. एल. सेठी बनाम आर. पी. कपूर, (1972) 2 एस. सी. सी. 427, द कोर्ट

माना कि अधिकार क्षेत्र शब्द कई रंगों का एक मौखिक कोट है। आरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , (1974)

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 एस. सी. सी. 415, यह देखा गया कि अधिकार क्षेत्र का विस्तार इसके संदर्भ से रंग लेगा।

27. धारा 9 ए की अधिकारिता का उपयोग जिस संदर्भ में किया गया है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। अधिकारिता शब्द की व्याख्या उस संदर्भ में की जानी चाहिए जिसका उपयोग विभिन्न प्रावधानों में किया गया है। "अधिकार क्षेत्र" शब्द का उपयोग सी. पी. सी. में कई प्रावधानों में किया गया है। धारा 9 उन सभी मुकदमों को छोड़कर, जो वर्जित हैं, दीवानी अदालत द्वारा सभी मुकदमों की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। धारा 10 न्यायालय को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने से रोकती है। धारा 11 और स्पष्टीकरण VIII न्यायिक निर्णय के सिद्धांत पर आधारित हैं। धारा 21 किसी क्षेत्राधिकार के प्रति आपत्तियों को परिभाषित करती है जैसे कि मुकदमा करने का स्थान और न्यायालय की अपनी क्षेत्राधिकार की आर्थिक सीमाओं के संबंध में क्षमता। धारा 86 केंद्र सरकार की सहमति के अलावा किसी भी न्यायालय में किसी विदेशी राज्य के खिलाफ मुकदमे को प्रतिबंधित करती है जो अन्यथा मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सक्षम है। धारा 135 उस मामले को संदर्भित करती है जो निर्धारण के लिए लंबित है जिसमें अधिकारिता है। आदेश II नियम 3 (2) में वाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित एक प्रावधान है। आदेश VII नियम 11 (डी) पर शिकायत की अस्वीकृति से संबंधित है जमीन कानून द्वारा वर्जित है। आदेश VIII नियम 3-ए (4) एक प्रतिवादी को अधिकार क्षेत्र के रूप में आपत्ति रखने का प्रावधान करता है। आदेश XIV नियम 2 न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित प्रारंभिक मुद्दों या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक के बीच अंतर करता है। आदेश XXIII नियम 3-ए में प्रावधान है कि समझौता डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा। कई अन्य प्रावधान हैं जिनमें अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

इन आरईः " सूट में प्रवेश करें "

28. जब हम धारा 9 ए के प्रावधानों पर विचार करते हैं, तो अधिकार क्षेत्र शब्द "मुकदमे को स्वीकार करने के लिए" के साथ योग्य होता है, उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मुकदमे को स्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र" है। न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है कि

जब किसी मुकदमे को विचार के लिए प्राप्त करने का अधिकार क्षेत्र हो तो उस पर विचार करें। यदि सीमा पर, न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता है, तो यह कहा जा सकता है कि न्यायालय के पास मामले पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह एक सूट की तरह है

राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय, लेकिन यह सिविल न्यायालय में दायर किया जाता है, न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता है और न ही इसे परीक्षण के लिए प्राप्त कर सकता है। यह आपराधिक अपील पर विचार करने के लिए न्यायपालिका की तरह है जब न्यायालय के पास मामले पर विचार करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र नहीं है; यह कहा जा सकता है कि न्यायालय के पास विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब किसी विशेष विवाद पर विचार करने के लिए अलग सांविधिक तंत्र प्रदान किया जाता है और सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित होती है, और यदि इसे सिविल न्यायालय के समक्ष लाया जाता है जिसका एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया v.

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

अधिकार क्षेत्र वर्जित है, यह इस तरह के मुकदमे पर विचार नहीं कर सकता है और इसे विचार के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि न्यायालय के पास इस तरह के मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब न्यायालय स्वयं को विचार करने की अनुमति देने के बारे में नहीं सोच सकता है, तो यह कहा जा सकता है कि उसके पास विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह ऐसा है जैसे एक मामला एक उपभोक्ता मंच में संज्ञेय है; एक दीवानी अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

29. सीमा अधिनियम की धारा 14 में "मनोरंजन के लिए अधिकार क्षेत्र" शब्द का भी उपयोग किया गया है। धारा 14 के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि यदि कोई मुकदमा गलत अदालत में दायर किया जाता है और अधिकार क्षेत्र के दोषों के कारण अदालत इसे स्वीकार करने में असमर्थ होती है, तो मुकदमा दायर करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

30. 'मनोरंजन' शब्द का अर्थ काशीराम v में विचार के लिए आया है। संतोखबाई, आकाशवाणी 1958 एम. पी. 91. 'मनोरंजन' शब्द

इसका अर्थ है विचार के लिए स्वीकार करना। इसका मतलब राहत देना नहीं है। जब न्यायालय इसे विचार और निपटान के लिए प्राप्त करता है, तो कानून के अनुसार, यह

इसे वाद या कार्यवाही का मनोरंजन करने वाला माना जाना चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 5. हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से दिए गए विवाद को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है और वादी उस धारा के लाभ का हकदार नहीं है। इससे पहले

जैसा कि मुखर्जी, जे. (जैसा कि वे तब थे) ने ए. आई. आर. 1945 कैल 381 (बी) में बताया है, 'मनोरंजन' शब्द का अर्थ है स्वीकार करना। विचार करें। इसका अर्थ राहत देना नहीं है, और यह कि जब किसी मुकदमे या कार्यवाही को सीमित नहीं किया जाता है, लेकिन न्यायालय इसे कानून के अनुसार विचार और निपटान के लिए प्राप्त करता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए।

मुकदमा या कार्यवाही का मनोरंजन करने के रूप में माना जाएगा, चाहे अंतिम निर्णय कुछ भी हो; और यह कि किसी वाद पर न्यायालय द्वारा केवल तभी विचार नहीं किया जाना चाहिए जब उसे इसकी शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाए और न्यायालय अपने गुण-दोष के आधार पर इसका निर्णय नहीं करता है। "[2019] 15 एस. सी. आर.

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 14 कुछ विशिष्ट आधारों पर किसी वाद या कार्यवाही को स्वीकार करने में न्यायालय की असमर्थता की बात करती है, जो औपचारिक प्रकृति के हैं और किसी वाद को स्वीकार करने में असमर्थता का अर्थ वादी को राहत देने में असमर्थता नहीं है, बल्कि उसे मुकदमा देने में असमर्थता है। हमारी राय में जब किसी वाद को इसलिए खारिज नहीं किया जाता है कि न्यायालय को उस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, या समान प्रकृति के किसी अन्य कारण के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह गलत धारणा थी या क्योंकि कार्यवाही या वाद को कानून द्वारा इसकी शुरुआत में कानूनी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, तो स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 14 इसके प्रति आकर्षित नहीं होती है।

ऐसा सूट।

इस दृष्टिकोण का समर्थन अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत मामलों और कई अन्य मामलों द्वारा किया जाता है। अब, यहाँ, वादी का पूर्व मुकदमा किसी भी दोष के कारण खारिज नहीं किया गया था

अधिकारिता या इसके समान कोई अन्य आधार, लेकिन इस पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया क्योंकि यह पूरी तरह से गलत धारणा थी और किसी मृत एजेंट के बेटे के खिलाफ खातों को प्रस्तुत करने की राहत नहीं दी जा सकती थी। मुकदमा खारिज कर दिया गया था क्योंकि निचली अदालत के अनुसार कार्यवाही को कानून द्वारा उनकी शुरुआत में कानूनी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। अगर तब,

सीमा अधिनियम की धारा 14 इस मामले में कोई प्रयोज्यता नहीं है, और वादी का मुकदमा Art.89 द्वारा शासित है, तो यह स्पष्ट रूप से समय द्वारा वर्जित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

एम. पी. के उच्च न्यायालय ने नकुल चंद्र घोष बनाम मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। श्यामपद घोष, ए. आई. आर. 1945 कैल 381।

31. 'मनोरंजन' अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी चीज़ को विचार के लिए स्वीकार करना। जब किसी मुकदमे या कार्यवाही को सीमित नहीं किया जाता है, लेकिन अदालत इसे कानून के तहत निपटारे के लिए विचार के लिए प्राप्त करती है, तो इसे मुकदमे या कार्यवाही का मनोरंजन करने के रूप में माना जाना चाहिए। यह है।

अंतिम निर्णय क्या है, यह महत्वहीन है। 'मनोरंजन' शब्द हो चुका है

विचार के लिए स्वीकार करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड v में कहा गया है। सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कानपुर, ए. आई. आर 1968 एस. सी. 488. 'मनोरंजन' वाक्यांश का अर्थ है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड में देखे गए गुण-दोष पर निर्णय लेना या विचार करना। पुन्नू साहू (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, 1971 (3) एस. सी. सी. 124।

हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम में देखा गया। पुन्नू साहू (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, 1971 (3) एस. सी. सी. 124 निम्नानुसारः

यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मीरतन में सही स्वीकार किया गया था इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड v. आसिस्टेंट। कॉम. , बिक्री कर, कानपुर, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 488। हम उस निर्णय से बाध्य हैं और इसलिए हम अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि

परंतुक का खंड (ख) वर्तमान पर लागू नहीं होता था।

कार्यवाही "।

'मनोरंजन' शब्द इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त आदेश XXI नियम 90 के संदर्भ में हिंदुस्तान नेर्सियल बैंक लिमिटेड (ऊपर) में विचार के लिए आया था। मनोरंजन वाक्यांश का अर्थ गुण-दोष पर निर्णय लेना या विचार करना है।

इन आरईः अस्तित्व और अस्तित्व के बीच का अंतर

न्यायनिर्णयक अभ्यास 33. अधिकारिता के अस्तित्व के बीच अंतर है

वह अधिकारिता का प्रयोग करता है। यदि क्षेत्राधिकार का प्रयोग अनियमितता या अवैधता के साथ किया जाता है, तो यह क्षेत्राधिकार का भी गठन करेगा, हालांकि, यदि किसी अदालत को किसी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन अधिकार क्षेत्र में, एक गलती की गई है, हालांकि यह क्षेत्राधिकार त्रुटि होगी लेकिन इसकी कमी नहीं होगी। यह एक न्यायिक त्रुटि हो सकती है।

अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए।

34. डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम। के. आर. इंडस्ट्रीज, 2008 10 एस. सी. सी. यह देखा गया है कि आदेश II नियम 2 [2019] 15 एस. सी. आर. के तहत अधिकार क्षेत्र।

और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 3 का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत को कार्रवाई के कारण के संबंध में अन्यथा अधिकार क्षेत्र हो, जिसके लिए कार्रवाई की गई हो। न्यायालय ने कहा हैः

" 19. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पूछा गया प्रश्न

यह निम्नानुसार हैः

" लेकिन अगला सवाल, जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह है

क्या वादी कार्रवाई के दो कारणों को जोड़ सकता है,

एक कॉपीराइट अधिनियम के तहत और दूसरा अधिनियम के तहत 1958 की ऐसी स्थिति में जहां इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है

जहाँ तक कॉपीराइट अधिनियम के तहत कार्रवाई का कारण है

संबंधित लेकिन मनोरंजन करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है

1958 के अधिनियम से संबंधित कार्रवाई का कारण।

संहिता के आदेश 2 नियम 2 और 3 के प्रावधानों पर ध्यान देना

सिविल प्रक्रिया वादी को एक से अधिक संयोजन करने में सक्षम बनाती है कार्रवाई के कारण, यह राय दी गई थी कि उक्त प्रावधान संबंधित हैं -

आर्थिक क्षेत्राधिकार। हालाँकि, उक्त अधिकार क्षेत्र हो सकता है

केवल उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब न्यायालय के पास अन्यथा अधिकार क्षेत्र होता है

कार्रवाई के कारण के संबंध में जिसके लिए कार्रवाई की गई है

लाया गया। "

35. रखरखाव के सवाल की भी जांच की गई थी

द प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम में अधिकार क्षेत्र का संदर्भ। कमलाकर शांताराम वाडके और अन्य। , ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2238 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक दीवानी न्यायालय में, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि इसके पास राहत या अस्थायी राहत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। न्यायालय ने कहाः

" 27 ... . इसलिए, बेहतर और अधिक उचित दृष्टिकोण

यह माना जाता है कि दो वादी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सभी कामगारों की मांग की गई है

एक चोट को रोकने के लिए दीवानी अदालत में निषेधाज्ञा का आदेश जो

उनके अधिकार के संबंध में उन्हें प्रस्तावित किया गया था

अधिनियम। अतः स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री के लिए एक मुकदमा था

दीवानी अदालत में रखरखाव योग्य नहीं था क्योंकि इसके पास अनुदान देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था राहत या यहाँ तक कि एक अस्थायी राहत।

(जोर दिया गया)

36. किसी मामले में, क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों के साथ-साथ न्यायिक तथ्य,

उठ सकता है। जब विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के तथ्य गायब होते हैं, तो अदालत/न्यायाधिकरण बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। न्यायनिर्णायक तथ्यों के मामले में, न्यायालय नस्ली नेविल वाडिया बनाम।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मामले के मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि अदालत के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, जिसे गुण-दोष पर जांच करने की शक्ति कहा जाता है। न्यायनिर्णयन योग्यता पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने की शक्ति है।

37. भाई जय किशन सिंह बनाम। आधिकारिक भगवती शंकर के माध्यम से पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया (परिसमापन में)

परिसमापक, ए. आई. आर. 1944 लाह 136, यह देखा गया है कि अधिकार क्षेत्र का मुद्दा प्रारंभिक मुद्दे की तरह है न कि जहां कार्यवाही को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , (1974) 3 एस. सी. सी. 415 शब्द अधिकारिता के संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 28. हम सोचते हैं कि न तो इस न्यायालय का निर्णय

बैद्यनाथ पंजियार बनाम। सीता राम महतो, (1969) 2 एस. सी. सी. 447, जिसका विचार था कि नामांकन करने की अंतिम तिथि के बाद मतदाता सूची में व्यक्तियों के नाम दर्ज करने या हटाने में 1950 के अधिनियम की धारा 23 (3) का उल्लंघन शक्ति, और न ही वोपांसो वी में निर्णय। एन. एल. ओडुया (1971) 2 एस. सी. सी.

550 और अन्य जो यह भी सुझाव देते हैं कि जहां शक्ति की कमी थी, इस प्रश्न पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है

चुनाव याचिका, सादृश्य द्वारा, प्रश्न के गलत निर्णय के आधार पर मतदाता सूची में प्रविष्टि के लिए विस्तारित की जा सकती है।

सामान्य निवास। हालाँकि अधिकार क्षेत्र या शक्ति की कमी और इसके गलत प्रयोग के बीच विभाजन रेखा बन गई है।

द एनिस्मिनिक केस, (1967) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 382 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले के साथ हमें नहीं लगता कि अंतर दोनों के बीच पूरी तरह से मिटा दिया गया है। हम यह बताने के लिए एक संपूर्ण नियम तैयार करने में कठिनाई से अवगत हैं कि कब शक्ति की कमी है और कब इसका गलत अभ्यास है। कठिनाई इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि "अधिकार क्षेत्र" शब्द एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है और इसका रंग इसके संदर्भ से लिया जाता है, (प्रति डिप्लॉक, जे., पी. पर देखें। 394 एनिस्मिनिक मामले में)। जबकि अधिकार क्षेत्र का "शुद्ध" सिद्धांत अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण को एक लुप्त बिंदु तक कम कर देगा, एक संकीर्ण अर्थ को अपनाने के परिणामस्वरूप एक अधिक उपयोगी कानूनी अवधारणा हो सकती है, भले ही कानून की औपचारिक संरचना अपनी तार्किक समरूपता को कुछ खो सकती है। सबसे नीचे, न्यायिक समीक्षा के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र की अवधारणा को परिभाषित करने की समस्या तर्क के बजाय सार्वजनिक नीति की रही है।

और

[2019] 15 एस. सी. आर. से देखा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक नीति का पहलू जैसा कि इसके प्रावधानों में परिलक्षित होता है

1950 और 1951 के अधिनियम, हम नहीं सोचते कि एक पर गलत निर्णय

एक में प्रवेश करने के उद्देश्य से सामान्य निवास का प्रश्न

मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम माना जाना चाहिए

न्यायक्षेत्र संबंधी त्रुटि जिसकी न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है

दीवानी अदालत या चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष "।

(जोर दिया गया)

यह देखा गया है कि अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र" का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है।

इन्द्रियों का उपयोग और इसका रंग इसके संदर्भ से लिया जाता है, जिसमें इसका उपयोग एनिस्मिनिक लिमिटेड v में देखा गया है। विदेशी क्षतिपूर्ति आयोग,

[1968] 2 क्यू. बी. 862।

38. भारत संघ में v. ताराचंद गुप्ता और ब्रदर्स। , 1971

(1) एस. सी. सी. 486, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में, यह देखा गया है कि इसका संकीर्ण और व्यापक दोनों अर्थ हैं। पहले के अर्थ में, इसका अर्थ है जांच शुरू करने का अधिकार, और बाद वाला, निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन में है। यह देखा जाता हैः

" 22. इस प्रकार सिद्धांत यह है कि अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण दीवानी अदालतों का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, इस तरह का बहिष्कार,

न्यायाधिकरण जिस पर यह अधिकारिता प्रदान करता है और पर्याप्त प्रावधान करता है ऐसा करने के लिए उपाय जो अदालतें आम तौर पर ऐसी स्थिति में करतीं

उससे पहले आगे बढ़ें। यहाँ तक कि जहाँ कोई क़ानून अंतिमता देता है, वहाँ भी

प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करता है जहां के प्रावधान

विशेष कानून का पालन नहीं किया गया है, या न्यायाधिकरण

के मूल सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है

न्यायिक प्रक्रिया। "अधिकार क्षेत्र" शब्द में संकीर्ण और संकीर्ण दोनों हैं।

एक व्यापक अर्थ। पूर्व के अर्थ में, इसका अर्थ है

अधिनियम से। तदनुसार, एक न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्धारण उस प्रश्न के अलावा जो क़ानून उसे तय करने के लिए निर्देशित करता है

निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं होगा, और इसलिए, इसके अधिकार क्षेत्र से अधिक "।

(जोर दिया गया)

39. पुनः, आधिकारिक न्यासी, पश्चिम बंगाल बनाम। सचिंद्र नाथ

चटर्जी, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 823, यह देखा गया है कि एक अदालत के समक्ष यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]यदि अभिनिर्धारित किया जाए कि किसी विशेष मामले का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र उसके पास होना चाहिए, तो उसे लाए गए मुकदमे का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन उससे मांगे गए आदेश को पारित करने का अधिकार भी होना चाहिए। उसके पास अधिकार होना चाहिए और मुद्दे का फैसला करना चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 12. यह स्पष्ट है कि यदि विद्वान न्यायाधीश के पास पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

प्रश्नगत क्रम तब शून्य और शून्य है। यह समान रूप से स्पष्ट है कि यदि उसके पास याचिका पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र था, तो उसके सामने यह तथ्य रखा गया कि उसने गलत आदेश दिया है या

एक अवैध आदेश भी इसकी वैधता को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए हमें यह देखना है कि क्या रामफ्री, जे. के पास मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र था।

अधिवासी द्वारा किया गया आवेदन।

13. अधिकारिता का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर मुखर्जी, कार्यवाहक सी. जे. ने पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए दिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिरदे नाथ राय बनाम. रामचंद्र

बर्ना सरमा। आई. एल. आर. 48 कैल 138 = ए. आई. आर. 1921 कैल 84 (एफ. बी.)। में। आई. एल. आर. (सी. ए. एल.) = (ए. आई. आर. के पृष्ठ 36 पर) रिपोर्ट का पृष्ठ 146 विद्वान

न्यायाधीश ने समझाया कि अधिकार क्षेत्र का वास्तव में क्या अर्थ है। हम कर सकते हैं।

उनके शब्दों को उद्धृत करने से बेहतर कुछ नहीं हैः

" सुखलाल बनाम के मामले में पूर्ण पीठ को निर्देश के आदेश में। तारा चंद, (1905) आई. एल. आर. 33 कैल 68 (एफ. बी.) में कहा गया था कि क्षेत्राधिकार को 'किसी कारण को सुनने और निर्धारित करने, निर्णय लेने और उसके संबंध में किसी भी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने' के लिए न्यायालय की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैः दूसरे शब्दों में, अधिकार क्षेत्र का अर्थ है 'वह प्राधिकरण जो एक अदालत को उन मामलों को तय करना है जो हैं

उसके समक्ष मुकदमा दायर करना या अपने निर्णय के लिए औपचारिक रूप से प्रस्तुत मामलों का संज्ञान लेना। मामलों की जांच

पुस्तकें इस शब्द को परिभाषित करने के कई प्रयासों का खुलासा करती हैं।

' अधिकारिता ', जिसे कानून और तथ्य के मुद्दों को सुनने और निर्धारित करने की शक्ति कहा गया है', वह प्राधिकरण जिसके द्वारा न्यायिक अधिकारी संज्ञान लेते हैं और 'कारणों का निर्णय लेते हैं'; 'कानूनी विवाद को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार', 'विषय को सुनने और निर्धारित करने की शक्ति-दोनों के बीच विवाद में मामला

एक मुकदमे के पक्षकारों और उन पर किसी भी न्यायिक शक्ति का निर्णय या प्रयोग करने के लिए ";" सुनने, निर्धारित करने और उच्चारण करने की शक्ति।

न्यायालय के समक्ष मुद्दों पर निर्णय ";" वह शक्ति या अधिकार जो विधायिका द्वारा न्यायालय को पक्षों के बीच कारणों को सुनने और निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए प्रदान किया जाता है [2019] 15 एस. सी. आर.

प्रभाव में ";" तथ्यों की जांच करने की शक्ति, लागू करने के लिए

कानून, निर्णय सुनाने और इसे निष्पादित करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

40. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में। लिमिटेड वी. सीमेंस

(2007) 4 एस. सी. सी. 451 के अनुसार, यह प्रश्न न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष विचार के लिए आया कि अधिकार क्षेत्र का प्रश्न क्या है और क्या दावे के गुण-दोष में जाने से इनकार करना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के बराबर होगा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी विशेष मामले में दावे के गुण-दोष में जाने से इनकार करना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के बराबर हो सकता है। न्यायक्षेत्र संबंधी प्रश्न और अधिकार क्षेत्र क्या है, इस पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। न्यायालय या न्यायाधिकरण की अधिकारिता के प्रश्न से संबंधित सीमा का प्रश्न विचार के लिए आया, क्योंकि अपील की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी। चर्चा का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

" 17. बड़े अर्थों में, एक के गुणों में जाने से कोई इनकार

दावा अधिकार क्षेत्र में हो सकता है। यहां तक कि बर्खास्तगी भी

सीमा द्वारा वर्जित दावा, एक अर्थ में,

न्यायालय या न्यायाधिकरण की अधिकारिता। जब कोई दावा खारिज कर दिया जाता है

इसे सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के आधार पर, यह एक अर्थ में होगा, न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करने का मामला

दावे के गुण-दोष पर गौर करें। पांडुरंग धोनी चौगुले में

वी. मारुति हरि जाधव ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 153, इस न्यायालय ने कहा

वहः (एयर पी। 155, पैरा 10)

" यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सीमा का अनुरोध या बचाव का अनुरोध

न्यायपालिका कानून की एक याचिका है जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित है

न्यायालय जो कार्यवाहियों का परीक्षण करता है। इन दलीलों पर एक निष्कर्ष

उन्हें उठाने वाले पक्ष के पक्ष में अधिकार क्षेत्र को हटा दिया जाएगा

न्यायालय का, और इसलिए, इन दलीलों पर एक गलत निर्णय हो सकता है

कहा जाए कि वह अधिकार क्षेत्र के प्रश्नों से संबंधित है जो

यह संहिता की धारा 115 के दायरे में आता है। ”

एक विशेष अर्थ में, इसलिए, गुणों में जाने के लिए कोई भी इनकार

किसी दावे को प्रयोग करने से इनकार करने का मामला कहा जा सकता है

अधिकार क्षेत्र।

18. अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र" कई रंगों का एक शब्द है। इसका

जिस परिवेश में इसका उपयोग किया जाता है, उससे रंग का पता लगाया जाना चाहिए।

..... " यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

यह स्पष्ट है कि जब किसी दावे को खारिज कर दिया जाता है

सीमा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनकार न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे में है। यह नहीं कहा जा सकता कि

न्यायालय ने इस आधार पर मामले को खारिज करते हुए गलत निर्णय लेकर गुण-दोष में जाने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है

सीमा। उस संदर्भ में, पांडुरंग ढोंडी चौगुले (उपर्युक्त) पर भरोसा किया गया है जिस पर सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रश्न से निपटा गया है। इस अदालत ने भी

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में इसका अवलोकन किया गया। लिमिटेड (ऊपर दिया गया है) कि अधिकार क्षेत्र के प्रश्न में, अभिव्यक्ति अधिकार क्षेत्र कई रंगों का एक शब्द है और जिसका एक अलग अर्थ है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है।

इस न्यायालय द्वारा नीचे। उपरोक्त निर्णय में प्रश्न था

मामले पर विचार करने और पारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं

संपार्श्विक चुनौती से प्रतिरक्षा का आदेश। इस प्रकार, निर्णय उधार देता है

उत्तरदाताओं के कारण का कोई समर्थन नहीं।

41. एम. एल. सेठी बनाम आर. पी. कपूर (ऊपर), न्यायालय ने कहा

:

“ 12. ..... सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। बहुत पहले 1884 में, राजा अमीर हसन खान बनाम। शिव बख्श सिंह, (1884) एल. आर. 11 आई. ए. 237, प्रिवी काउंसिल ने पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 622 पर निम्नलिखित अवलोकन किया, जिसे प्रतिस्थापित किया गया था

1908 की संहिता की धारा 115:

" तब सवाल यह है कि क्या इस मामले में निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ काम किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे परिपूर्ण थे

उनके सामने जो सवाल था, उसे तय करने का अधिकार क्षेत्र और उन्होंने ही इसका फैसला किया। चाहे उन्होंने सही या गलत निर्णय लिया हो, उनके पास मामले का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र था; और भले ही उन्होंने गलत निर्णय लिया हो, उन्होंने अवैध रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया।

या भौतिक अनियमितता के साथ "।

बालकृष्ण उदयार बनाम। वासुदेव अय्यर (1917) एल. आर. 44 आई. ए. 261 , 267 बोर्ड ने कहाः

" यह देखा जाएगा कि यह धारा केवल अधिकारिता पर लागू होती है, इसका अनियमित अभ्यास या गैर-अभ्यास, या इसकी अवैध धारणा। यह धारा [2019] 15 एस. सी. आर. के खिलाफ निर्देशित नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून या तथ्य के निष्कर्ष जिसमें अधिकार क्षेत्र का प्रश्न शामिल नहीं है।

एन. एस. वेंकटगिरी अय्यंगार बनाम। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड, मद्रास, (1948-49) एल. आर. 76 आई. ए. 73, न्यायिक समिति ने कहा कि धारा 115 उच्च न्यायालय को तीन मामलों पर खुद को संतुष्ट करने का अधिकार देती है, (ए) कि अधीनस्थ अदालत का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में है; (बी) कि मामला वह है जिसमें अदालत को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए; और (सी) कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अदालत ने अवैध रूप से कार्य नहीं किया है, यानी कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन, या भौतिक अनियमितता के साथ, यानी मुकदमे के दौरान प्रक्रिया की कुछ त्रुटि करके, जो कि सामग्री है कि इसने अंतिम निर्णय को प्रभावित किया हो सकता है। और यदि उच्च न्यायालय उन तीन मामलों पर संतुष्ट है, तो उसके पास कोई शक्ति नहीं है

ऐसा लगता है कि क्षेत्राधिकार का मूल रूप से वही अर्थ था जो लॉर्ड रीड ने एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम में इसका उल्लेख किया था। विदेशी मुआवजा आयोग, (1969) 2 अधिनियम 147, अर्थात्, "विचाराधीन जांच में प्रवेश करने का अधिकार"। अगर प्रवेश करने का अधिकार था

प्रश्न की जांच करने पर, उसके बाद की किसी भी त्रुटि को केवल अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि के रूप में माना जा सकता है। इस सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध सूत्रीकरण भगवान दर्मान द्वारा आर वी में किया गया है। बोल्टन, (1841) 1 क्यू. बी. 66। उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र का प्रश्न शुरुआत में निर्धारित किया जा सकता है, न कि जांच के समापन पर। एनिस्मिनिक लिमिटेड मामले में (ऊपर) लॉर्ड रीड ने कहाः

" लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहां, हालांकि न्यायाधिकरण को जांच में प्रवेश करने का अधिकार क्षेत्र था, उसने जांच के दौरान कुछ ऐसा किया है या करने में विफल रहा है जो इस तरह की प्रकृति का है कि उसका निर्णय अमान्य है। हो सकता है कि उसने

गलत विश्वास में निर्णय लेना। हो सकता है कि उसने ऐसा निर्णय लिया हो जिसे लेने की उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। हो सकता है कि यह जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा हो। हो सकता है कि इसने पूरी सद्भावना से उन प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला हो जो उसे कार्य करने की शक्ति देते हैं ताकि वह उसे भेजे गए प्रश्न से निपटने में विफल रहे और कुछ ऐसे प्रश्न का निर्णय लिया जो नहीं था।

इसे भेजें। हो सकता है कि इसने USLI NEVILLE WADIA v को ध्यान में रखने से इनकार कर दिया हो।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

कुछ ऐसा जिसे ध्यान में रखना आवश्यक था। या हो सकता है कि उसने अपना निर्णय किसी ऐसे मामले पर आधारित किया हो, जिसे स्थापित करने वाले प्रावधानों के तहत उसे ध्यान में रखने का कोई अधिकार नहीं था। आई.

इस सूची को संपूर्ण नहीं बनाना चाहते हैं। "

इसी मामले में, लॉर्ड पीयर्स ने कहाः

" अधिकारिता की कमी विभिन्न तरीकों से उत्पन्न हो सकती है। उन औपचारिकताओं या चीजों की अनुपस्थिति हो सकती है जो हैं

न्यायाधिकरण के लिए कोई भी अधिकारिता रखने वाली पूर्ववर्ती शर्तें

एक पूछताछ शुरू करें। या न्यायाधिकरण अंत में एक आदेश दे सकता है कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। या, बीच के चरण में एक उचित जांच पर लगे हुए,

न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के नियमों से अलग हो सकता है; या वह खुद से गलत सवाल पूछ सकता है; या वह उन मामलों को ध्यान में रख सकता है जिन्हें ध्यान में रखने का निर्देश नहीं दिया गया था। इस प्रकार यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कदम उठाएगा। यह अपनी जांच को संसद द्वारा निर्देशित कुछ नहीं में बदल देगा और ऐसा करने में विफल रहेगा जाँच करें जिसे संसद ने निर्देशित किया था। इनमें से कोई भी बात इसके कथित निर्णय को अमान्य बना देगी।

उपरोक्त मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुमत के आदेश से पता चलता है कि अधिकार क्षेत्र की 'कमी' और 'अधिकता' को किस हद तक आत्मसात किया गया है या दूसरे शब्दों में, हम किस हद तक 'अधिकार क्षेत्र' की पारंपरिक अवधारणा से दूर चले गए हैं। उस मामले में डिक्टा का प्रभाव क्षेत्राधिकार के भीतर न्यायक्षेत्र की त्रुटि और कानून की त्रुटि के बीच के अंतर को लगभग गायब होने तक कम करना है। निर्णय का व्यावहारिक प्रभाव यह है कि कानून की किसी भी त्रुटि को अधिकार क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है। यह खतरनाक रूप से यह कहने के करीब आता है कि यदि निर्णय कानून में सही है तो अधिकार क्षेत्र है लेकिन यदि यह गलत है तो कोई नहीं। किसी कानून के लगभग किसी भी गलत निर्माण को "एक ऐसे मामले पर अपने निर्णय के आधार पर दर्शाया जा सकता है जिसके साथ उन्हें निपटने का कोई अधिकार नहीं है", "एक अनुचित शर्त लागू करना" या "खुद को एक गलत प्रश्न के लिए संबोधित करना"। मामले में बहुमत की राय एक छोड़ देती है

न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसमें वस्तुतः कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। क्या अधिकार क्षेत्र की अधिकता है या अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल त्रुटि है, यह केवल अधिकार देने वाले क़ानून का अर्थ लगाकर निर्धारित किया जा सकता है, जो थोड़ा मार्गदर्शन देगा। यह वास्तव में एक सवाल है कि अदालत कितने अक्षांश की अनुमति देने के लिए तैयार है। अंत में, यह केवल एक मूल्य निर्णय हो सकता है (देखें एच. एन. आर. वेड, "संवैधानिक और [2019] 15 एस. सी. आर.।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिस्मिनिक मामले के प्रशासनिक पहलू ", लॉ क्वार्टरली

समीक्षा, खंड। 85,1969 , पी। 198) . यह गलत निर्णय क्यों है?

सीमा या रेस जुडिकाटा के प्रश्न पर एक के रूप में माना जाता था

न्यायक्षेत्र संबंधी त्रुटि और संशोधन में हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी? यह.

यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक गलत निर्णय

सीमा का प्रश्न या न्यायिक अधिकार क्षेत्र को हटा देगा न्यायालय के शब्द के आदिम अर्थ में और प्रस्तुत करें

संपार्श्विक हमला। इसका कारण केवल यह हो सकता है कि कानून की त्रुटि न्यायालय द्वारा इसे महत्वपूर्ण माना गया था। और कोई पैमाना नहीं है।

राय के अलावा त्रुटि के परिमाण को निर्धारित करने के लिए अदालत से "।

(जोर दिया गया)

यह निर्धारित किया गया है कि के प्रश्न पर गलत निर्णय

न्यायपालिका या सीमा न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं करेगी और न ही निर्णय को संपार्श्विक हमले के लिए उत्तरदायी शून्य बना देगी। न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता नहीं होने की कसौटी यह है कि इसका निर्णय संपार्श्विक कार्यवाही में हमला करने के लिए उत्तरदायी है।

42. बुधिया स्वैन और अन्य बनाम। गोपीनाथ देब और अन्य,

(1999) 4 एस. सी. सी. 396 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 2089, अदालत ने इस मुद्दे की जांच की कि क्या दीवानी अदालत द्वारा एक मुकदमे में डिक्री पारित की गई थी जो वर्जित थी। सीमा द्वारा इसे शून्य माना जा सकता है या नहीं। यह देखा गया कि चूंकि दीवानी अदालत के पास मुकदमे का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र था, हालांकि यह सीमा से परे दायर किया गया था, इसलिए यह अमान्य नहीं था और इस प्रकार कहा गयाः

" 14. एक मुकदमा या कार्यवाही का मनोरंजन किया जाता है और होने के बावजूद तय किया जाता है

सीमा द्वारा वर्जित अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं है; सबसे खराब स्थिति में यह हो सकता है

अवैधता का मामला। ..... "

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीमा द्वारा वर्जित मामले में, न्यायालय ने

इस मुद्दे को तय करने का अधिकार क्षेत्र। यदि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह इस तरह के मुद्दे को गुण-दोष के आधार पर तय नहीं कर सकता है।

इन आरईः मनोरंजन के लिए न्यायपालिका

धारा 9 ए, सीपीसी

43. धारा 9 ए में "अधिकार क्षेत्र" शब्द इसके लिए योग्य है -

सूट का 'मनोरंजन' करने के लिए अभिव्यक्ति। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 9 ए के दायरे को विधायिका द्वारा संकुचित कर दिया गया है।

एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया v को शामिल नहीं करके आदेश XIV नियम 2 (2) में निहित प्रावधानों के लिए।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

"उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा बनाई गई बाधा" के बारे में प्रावधान।

44. चूंकि महाराष्ट्र में शामिल धारा 9 ए में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र" है जो एक संकीर्ण अर्थ में है और इसके उद्देश्य को व्यापक नहीं माना जा सकता है जैसा कि फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है।

45. जब हम विचार करते हैं कि रंग अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र" में क्या है

धारा 9 ए में, यह स्पष्ट रूप से मनोरंजन करने की शक्ति के संदर्भ में है, अधिकार क्षेत्र 'मनोरंजन' शब्द के साथ रंग लेता है; अर्थात् न्यायालय के पास विचार के लिए किसी मामले को प्राप्त करने या उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। यदि कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो अदालत के पास राहत देने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन यदि उसके पास है, तो वह इस कारण से ऐसी राहत नहीं दे सकता है कि दावा समय की सीमा से वर्जित है या न्यायिक निर्णय के सिद्धांत या किसी अन्य कानून के तहत बनाए गए प्रतिबंध से वर्जित है। जब किसी मामले को न्यायिक या सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो यह नहीं होता है

कि न्यायालय के पास इसे स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राहत देना संभव नहीं है। मुकदमा दायर करने की सीमा समाप्त होने के कारण, सीमा अधिनियम की धारा 27 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान है। जब न्यायालय किसी मुकदमे को सीमा, संपत्ति के अधिकार के आधार पर खारिज करता है

" तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिबंध में सीमा अधिनियम द्वारा बनाया गया मुकदमा भी शामिल है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे धारा 9 ए में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मनोरंजन करने की अधिकारिता" में शामिल किया गया है। न्यायालय को विचार के लिए एक मामला प्राप्त करना होता है और उस पर विचार करना होता है, राहत देने के लिए किसी अन्य कानून द्वारा बनाई गई सीमा या बाधा का गठन करने वाले तथ्यों पर गौर करने के लिए, उसे गुण-दोष के आधार पर प्रश्न का निर्णय करना होता है; फिर उसे सीमा या ऐसे अन्य आधार पर खारिज करने की शक्ति होती है। किसी अन्य कानून द्वारा बनाई गई बार। इस प्रकार, धारा 9 ए में मनोरंजन के लिए अधिकार क्षेत्र को दिया जाने वाला अर्थ एक संकीर्ण है -

रखरखाव, न्यायनिर्णयन के लिए मुकदमा प्राप्त करने के लिए न्यायालय की क्षमता केवल प्रावधानों के तहत शामिल है। मनोरंजन शब्द को गुण-दोष पर राहत देने में असमर्थता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह राहत देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुकदमा प्राप्त करने से संबंधित है।

46. निषेधाज्ञा के लिए अंतरिम आवेदन और अधिनियमन [2019] 15 एस. सी. आर. के उद्देश्य पर निर्णय लेने के चरण में, विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए धारा 9 ए, सी. पी. सी. के तहत प्रावधान बनाया गया है।

उसी का यह था कि धारा 80 के तहत नोटिस दिए बिना मुकदमे दायर किए जा रहे थे, जो प्रारंभिक निगमन के समय

दो महीने के नोटिस के बिना प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था। सूट लगाने के लिए एक बार था। यह प्रथा बन गई कि निषेधाज्ञा प्राप्त करने के बाद, नोटिस देने के बाद नए सिरे से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दी गई। प्रावधानों के दुरुपयोग से निपटने के लिए, धारा 9 ए को वर्ष 1970 में पेश किया गया था और 1977 में फिर से पेश किया गया था ताकि निषेधाज्ञा देने या अलग करने के स्तर पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के सवाल पर विचार किया जा सके। प्रावधान को संकीर्ण अर्थ के साथ जोड़ा गया है जैसा कि एकतरफा निषेधाज्ञा देने के चरण में है; प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। लिखित बयान, तय और जवाबी दावा दायर नहीं किया जाता है, दस्तावेजों की खोज, निरीक्षण, प्रवेश, उत्पादन और समन करने का चरण नहीं पहुंचा है और ऊपर वर्णित चरणों के बाद, आदेश XIV के तहत मुद्दों को तैयार किया जाता है। आदेश XIV नियम 1 के अनुसार, मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब तथ्य या कानून के एक भौतिक प्रस्ताव की पुष्टि एक पक्ष द्वारा की जाती है और दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। मुद्दों को सामग्री प्रस्ताव पर तैयार किया जाता है, जिसे किसी अन्य पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तथ्यों और कानून के मुद्दों के मुद्दे हैं। यदि विशिष्ट तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, और यदि कानून का प्रश्न उत्पन्न होता है जो स्वीकार किए गए तथ्यों के परिणाम पर निर्भर करता है, तो न्यायालय के लिए आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के तहत स्वीकार किए गए तथ्यों और कानून के प्रारंभिक प्रश्न के आधार पर निर्णय सुनाने का अधिकार है। आदेश XIV नियम 2 (1) में, न्यायालय मामले का फैसला कर सकता है।

एक प्रारंभिक मुद्दे पर। इसे सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाना होता है। आदेश XIV नियम 2 (2) एक प्रस्थान बनाता है और न्यायालय न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कानून के प्रश्न या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा मुकदमे के लिए बनाए गए अवरोध पर निर्णय ले सकता है, जैसे कि सीमा के तहत

एक्ट करें। 47. किसी मामले में सीमा के प्रश्न का निर्णय स्वीकृत तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है, इसे आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। एक बार सीमा के बारे में तथ्य विवादित हो जाने के बाद, सीमा के प्रश्न का निर्धारण भी आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में या कानून के किसी अन्य ऐसे मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है जिसके लिए विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है। तथ्यों के बारे में विवाद के मामले में, कानून के प्रश्न पर निष्कर्ष देने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। एक मामले में, अधिकार क्षेत्र का सवाल उन तथ्यों के प्रमाण पर भी निर्भर करता है जो विवादित हैं। यदि तथ्य विवादित हैं और कानून का प्रश्न एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम पर निर्भर है तो इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

तथ्यों की जांच के परिणामस्वरूप, कानून के ऐसे प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, सी. पी. सी. के संशोधन से पहले और वर्ष 1976 में संशोधन के बाद कानून का समाधान प्रस्ताव है। 48. मुकदमा/आवेदन जो सीमा द्वारा वर्जित है, किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आधार नहीं है। यदि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत प्रतिकूल कब्जे की याचिका ली गई है, तो

मामले में यह तथ्यों पर सफलतापूर्वक साबित होता है; मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए।

हालाँकि, यह न्यायालय की अधिकारिता की कमी नहीं है कि मुकदमे को सीमा के आधार पर खारिज किया जाना है, लेकिन 12 वर्षों के लिए प्रतिकूल कब्जे का प्रमाण तब मुकदमे को सीमा द्वारा बाधित किया जाएगा जैसे कि सीमा के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।

49. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) की धारा 9 ए का उद्देश्य अधिकार क्षेत्र का दोष है। यह अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय या विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है। का दोष

अधिकारिता कानून के प्रावधानों के कारण हो सकती है। रघुनाथ दास बनाम। गोकल चंद, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 827, डिक्री के अधिनिर्णय के निष्पादन को अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि डिक्री अमान्य थी। न्यायालय के पास कृषि भूमि के विभाजन का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसने अभिनिर्धारित किया कि अदालत में अधिकार क्षेत्र का दोष जो डिक्री पारित करता है, वह डिक्री के साथ ही जुड़ा हुआ है क्योंकि मुकदमे को खारिज करना अधिकार क्षेत्र के दोष के कारण था। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, यह केवल न्यायालय के समक्ष मुकदमे की स्थिरता है जो

यह महाराष्ट्र में संशोधित धारा 9-ए सी. पी. सी. के दायरे में आता है।

50. रिलायंस को सीमा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों पर यह प्रस्तुत करने के लिए रखा गया है कि न्यायालय आगे नहीं बढ़ सकता है

मुकदमा जो सीमा द्वारा वर्जित है, हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 में निहित प्रावधानों के अधीन, स्थापित प्रत्येक वाद, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी, और निर्धारित अवधि के बाद किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, यह कहीं भी प्रदान नहीं करता है कि न्यायालय को मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब तक न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तब तक वह धारा 3 के तहत सीमा के आधार पर इसे खारिज करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।

51. धारा 9 ए के प्रावधानों के तहत, मुकदमे पर विचार करने के लिए न्यायालय के सी. पी. सी. अधिकार क्षेत्र का फैसला बिना रिकॉर्ड किए किया जाना चाहिए।

सबूतों से। आदेश XIV नियम 2 के तहत मुद्दा तैयार करने के स्तर पर भी साक्ष्य दर्ज करने पर विचार नहीं किया जाता है, बहुत कम यह [2019] 15 एस. सी. आर. हो सकता है।

निषेधाज्ञा देने के चरण में अनुमति दी जाती है, यह पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए कानून के प्रावधानों का सबसे बड़ा दुरुपयोग होगा, ताकि किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के प्रारंभिक मुद्दे के संबंध में तथ्यों को साबित किया जा सके। यदि यह विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है, तो इसे सी. पी. सी. की धारा 9 ए के दायरे में तय किया जा सकता है जैसा कि महाराष्ट्र में लागू होता है।

धारा 9 ए का दायरा सी. पी. सी. के आदेश XIV नियम 2 (2) से अधिक व्यापक नहीं है। इसका दायरा कुछ हद तक सीमित है। सी. पी. सी. में प्रमुख साक्ष्य द्वारा दो पूर्ण परीक्षणों पर विचार नहीं किया गया है, एक प्रारंभिक मुद्दे पर और दूसरा अन्य मुद्दों पर। जब तक और जब तक सवाल शुद्ध नहीं है कानून के अनुसार, इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है, या तो धारा 9 ए के तहत या आदेश XIV नियम 2 सीपीसी के तहत। दोनों प्रावधानों से संबंधित सी. पी. सी. के संशोधन से पहले या बाद में, स्थिति

एक ही है।

इन आरईः आदेश XIV नियम 2

52. आदेश XIV नियम 2 में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ

संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से सी. पी. सी. में निगमित, पहला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है या दूसरा उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए एक बाधा है। आदेश XIV नियम 2 (2) (ए) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है। 53. साजनबीर सिंह आनंद और अन्य बनाम। रमिंदर कौर आनंद और अन्य, 2018 (3) Mh.L.J. 892; सवाल उठा

प्रशासनिक मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि के रूप में विचार। यह देखा गया है कि वादी द्वारा दावा की गई राहत का फैसला मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए, और सीमा के पहलू को होना चाहिए

संदर्भ में विचार करें। एक प्रशासनिक मुकदमे में, सीमा अधिनियम, 1963 सीमा की अवधि निर्धारित करने के लिए विशिष्ट अनुच्छेद निर्धारित नहीं करता है। सीमा अवधि के निर्धारण के लिए कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है। प्रशासन के लिए एक मुकदमे की दलीलों और प्रार्थनाओं का विश्लेषण करना होगा, और उसके बाद, प्रासंगिक लेख को लागू किया जाना है।

54. यह निवेदन किया गया कि धारा 9 ए आदेश XIV नियम 2 के प्रतिकूल है। हमने धारा 9 ए की व्याख्या की है और हम पाते हैं कि

धारा 9 ए का दायरा आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों की तुलना में अलग है और धारा 9 ए का दायरा आदेश XIV नियम 2 जितना व्यापक नहीं है। हालाँकि, आदेश XIV नियम 2 की अवधारणा जिसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में माना जा सकता है, धारा 9 ए के तहत केवल एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया v के मामले में लागू होगी।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

" विचार करने की अधिकारिता उत्पन्न होती है, अर्थात, यदि इसका निर्णय विशुद्ध रूप से कानून के प्रश्न के रूप में किया जा सकता है, तो धारा 9 ए के तहत विचार किए गए स्तर पर, यदि यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, तो कोई सबूत दर्ज नहीं किया जा सकता है।

धारा 9 ए, सी. पी. सी. के तहत प्रश्न का निर्णय लेना।

55. अब्दुल रहमान बनाम। प्रसॉनी बाई और एक अन्य, (2003) 1

एस. सी. सी. 488, आदेश XIV नियम 2 के प्रावधान विचार के लिए आए।

जहां तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, प्रारंभिक मुद्दे पर मुकदमे का निपटारा किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यह हो चुका है

यह अभिनिर्धारित किया गया कि विशेष रूप से, यदि तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, तो बचाव न्यायपालिका और रचनात्मक बचाव न्यायपालिका के मुद्दे और मुकदमे की स्थिरता को भी प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना चाहिए। निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैः

" 21. स्वीकार किए गए तथ्यों पर मुकदमे के निपटारे के उद्देश्य से,

विशेष रूप से जब मुकदमे का प्रारंभिक निपटान किया जा सकता है

किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी

उच्च न्यायालय। सिविल संहिता के आदेश 14 नियम 1 के संदर्भ में

प्रक्रिया, एक दीवानी अदालत प्रारंभिक मुद्दों पर एक मुकदमे का निपटारा कर सकती है।

यह न तो संदेह में है और न ही विवाद में है कि रेस जुडिकाटा के मुद्दे और/या रचनात्मक न्यायपालिका के साथ-साथ इसकी रखरखाव क्षमता

वाद पर प्रारंभिक मुद्दों के रूप में निर्णय लिया जा सकता है। इस तरह के मुद्दे

वास्तव में, जब तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, तो आम तौर पर इस रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए

प्रारंभिक मुद्दे "।

(जोर दिया गया)

यदि तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश के तहत

XIV नियम 2, एक वाद का निर्णय न्यायिक निर्णय, रचनात्मक न्यायिक निर्णय और रखरखाव के प्रश्न के रूप में भी किया जा सकता है। हालांकि, धारा 9 ए के तहत, विचार करने के लिए एकमात्र अधिकार क्षेत्र तय

किया जाना है, जहां प्रारंभिक चरण में कानून के शुद्ध प्रश्न के रूप में न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुकदमे की स्थिरता तय की जाती है। इस प्रकार,

अब्दुल रहमान बनाम में निर्णय। आदेश XIV नियम 2 के चरण में प्रस्तुत प्रसॉनी बाई (सुप्रा) का विवाद पर कोई अनुप्रयोग नहीं है हाथ।

56. गुणवंतभाई मूलचंद शाह बनाम। एंटोन एलिस फरेल और

अन्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 634, मुकदमा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किया गया था। न्यायालय ने कहा कि तथ्यों में सीमा का प्रश्न नहीं हो सकता है

एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया गया। विशिष्ट प्रदर्शन की राहत के लिए मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता था।

हालाँकि अदालत ने माना कि अधिकार क्षेत्र था, लेकिन मामला [2019] 15 एस. सी. आर. था।

पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद सीमा सहित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को प्रेषित किया गया। इंडियन बैंक बनाम. महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, (1998) 5 एस. सी. सी. 69, यह देखा गया है कि जब धारा 10 की प्रयोज्यता का प्रश्न हो तो उस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। यह न्यायालय स्नेह लता गोयल बनाम. पुष्पलता और अन्य, (2019) 3 एस. सी. सी. 594 ने कहा कि सी. पी. सी. की धारा 21 के प्रावधानों को देखते हुए, अपील न्यायालय द्वारा मुकदमा करने के स्थान के रूप में कोई आपत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हो। न्यायनिर्णायक न्यायालयमे उठायल गेल एकटा आपत्ति क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारक संबंधमे छल, जे मुकदमा चलाबय लेल दीवानी न्यायालयक क्षेत्राधिकारक मूल या अंतर्निहित कमी तक नहि पहुँचैत छल। हीरालाल पटनी बनाम में एक मामले की सुनवाई करने की क्षमता पर विचार किया गया है। काली नाथ, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 199 का उल्लेख स्नेह लता गोयल (ऊपर) में किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 13. धारा 21 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि किसी अपील के समक्ष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाने से पहले या पुनरीक्षण न्यायालय, दो पूर्व शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(i) आपत्ति को पहली बार अदालत में लिया जाना चाहिए।

जल्द से जल्द संभव अवसर पर; और

((ii) परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

यह प्रावधान जिसे विधायिका ने योजनाबद्ध रूप से अपनाया है,

इसे प्रचुर मात्रा में स्पष्ट करें कि की इच्छा पर आपत्ति

क्षेत्रीय अधिकारिता मुकदमे पर विचार करने के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र की मूल या अंतर्निहित कमी की ओर नहीं जाती है। इसलिए, इसे जल्द से जल्द अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए, और उन सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा किया जाता है, ऐसे समझौते पर या उससे पहले। इसके अलावा, यह केवल तभी है जब न्याय की परिणामी विफलता होती है कि मुकदमा करने के स्थान के बारे में आपत्ति पर विचार किया जा सकता है। ये दोनों स्थितियाँ होनी चाहिए

संतुष्ट।

14. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रस्तुत किया है कि क्षेत्रीय की कमी के रूप में आपत्ति

निचली अदालत के समक्ष लिखित बयान में अधिकार क्षेत्र उठाया गया था। लेकिन जाहिर है, प्रतिवादी कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहने के बाद मुकदमे को एकतरफा घोषित किया गया था। धारा 21 (1) के प्रावधानों में एक स्पष्ट विधायी आदेश है कि इस प्रकृति की आपत्ति को जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

मुद्दों के हल होने से पहले अवसर। इसके अलावा, इस तरह की किसी भी आपत्ति को अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र द्वारा भी उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि दोनों शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।

यह मुकदमे पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी के संदर्भ में है, इस अभिव्यक्ति का उपयोग धारा 9 ए में किया गया है।

इन आरईः कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न और आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी.

57. मेजर एस. एस. खन्ना बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। ब्रिगेडियर ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 497 के एफ. जे. ढिल्लन ने अभिनिर्धारित किया है कि तथ्य के मुद्दों के अलावा कानून के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है न्यायालय यदि संपूर्ण वाद का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, लेकिन संहिता न्यायालय को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में विधि और तथ्यों के मिश्रित मुद्दे पर वाद का परीक्षण करने के लिए कोई अधिकारिता प्रदान नहीं करती है।

58. नार्ने राम मूर्ति बनाम। रवुला सोमसुंदरम और ओआरएस। (2005) 6 एस. सी. सी. 614, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भले ही यह केवल वाद अभिकथन से स्पष्ट है, उस वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है, इसे प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सीमा के अनुरोध के अभाव में भी प्रारंभिक मुद्दे के रूप में चलाया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां सीमा का सवाल तथ्य का एक मिश्रित सवाल है और कानून और वाद इसके चेहरे पर सीमा से वर्जित नहीं प्रतीत होते हैं, तो साबित करने के लिए आवश्यक तथ्य

जिन सीमाओं का अनुरोध किया गया है, उन्हें उठाए गए मुद्दों पर साबित करना होगा और साक्ष्य पर निर्णय लेना होगा। हालाँकि, सीमा के हमारे सुविचारित प्रश्न में, किसी भी मामले में, सी. पी. सी. की धारा 9 ए में उपयोग किए गए संदर्भ में न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न नहीं कहा जा सकता है।

59. सत्ती परदेसी समाधि और पिल्लयार मंदिर बनाम। एम. शकुंतला (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से, (2015) 5 एस. सी. सी. 674, यह देखा गया है कि तथ्यों की जांच की आवश्यकता वाले सीमा के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्नों को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।

60. रामदयाळ उमरौमल बनाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ, पन्नालाल जगन्नाथजी, 1979 M.P.L.J 736 ने कहा है कि आदेश XIV नियम 2 के तहत, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता वाले कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्नों को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। अधिकारिता के मुद्दे को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है जब यह कानून का मुद्दा होता है जिसमें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड [2019] 15 एस. सी. आर. में कई फैसलों में इसी तरह का विचार रखा है।

आई. एल. आर. (1997) डेल 229, नरेश चंद्र दास बनाम। गोपाल चंद्र दास, ए. आई. आर. 1991 कैल 237, ताज केरल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड बनाम। ईज़ीटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 20240, माधबानंद गोविंदसामी बनाम। माणिकम और ओआरएस। , 2016-1 - एल. डब्ल्यू. 49 , एंगस्ले इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम टूरस शिपिंग सेवा और अन्य। , ए. आई. आर. 2007 गुजरात 23; चंद्रमा सिंह बनाम। (डी) एल. आर. वी. के माध्यम से। राम किशोर अग्रवाल और अन्य। , 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. एच. 1740, नरेश चंद्र गौतम बनाम। छोटे खान, 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन उत्तर 12, रामाग्या तिवारी बनाम। शिब कुमार साह और अन्य। , 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन जाह 578, लालचंद शा और

ओआरएस। वी. कलाबती देवी और अन्य। , (2008) 2 गौ एल. आर. 561 और जे. मुंथम्मा एंड अन्न। वी. बाय्या लिग्लाम्मा और ओआरएस।

61. वैष अग्रवाल पंचायत बनाम। इंदर कुमार और अन्य, ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3357, प्रश्न इस आधार पर आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत की अस्वीकृति पर विचार करने के लिए आया कि इसे सीमा द्वारा वर्जित किया गया है। केवल शिकायत को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने पर, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सका कि मुकदमा समय द्वारा वर्जित था। सीमा का प्रश्न तथ्यों और कानून का एक मिश्रित प्रश्न बन जाता है और इसका निर्णय एक तरीके से नहीं किया जा सकता है।

मुद्दों को तैयार करने और साक्ष्य लेने के रूप में प्रारंभिक मुद्दा था

आवश्यक है।

62. हमारी राय में, यह आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत कानून के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वाद को सीमा द्वारा वर्जित के रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से ऐसे मामले में ऐसा करने की अनुमति है जहां वाद अभिकथन स्वयं कार्रवाई के कारण को सीमा द्वारा बाधित करने का संकेत देता है और मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है।

63. हरींद्रन और अन्य में वी। सुकुमारन और अन्य,

(2018) 14 एस. सी. सी. 187, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि मामले में सीमा का प्रश्न कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न होने के कारण, प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता था। वह प्रावधान जिसके तहत ए

अस्वीकार किए जाने का प्रावधान आदेश VII नियम 11 (डी) में किया गया है। आदेश VII नियम 11 में उपयोग की गई भाषा वह है जहां वाद में किए गए अभिकथन कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं; दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया जाता है, और अदालत के निर्देश के बावजूद वाद को सही नहीं किया जाता है; वाद पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई जाती है, और अदालत के आदेश के बावजूद वादी एन. यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया v. की आपूर्ति करने में विफल रहा है।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

अपेक्षित स्टाम्प शुल्क; जहाँ वाद वादी के कथन से किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है; जहाँ यह डुप्लिकेट में दायर नहीं किया गया है; और जहाँ वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है। आदेश VII नियम 11 के तहत जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अभिकथनों से

वाद स्वयं किसी भी कानून द्वारा वर्जित है और इसमें उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा बनाई गई बाधा सहित सीमा भी शामिल होगी। वाद की अस्वीकृति के लिए, लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा किए गए कथन या अन्यथा नहीं देखे जा सकते हैं, केवल वाद के कथन सामग्री हैं और उन पर विचार किया जा सकता है और कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

64. आदेश VII नियम 11 से संबंधित प्रश्न रमेश बी. देसाई और अन्य में विचार के लिए आया। वी. बिपिन वादिलाल मेहता

और ओआरएस। , (2006) 5 एस. सी. सी. 638, एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में सीमा के प्रश्न के निर्धारण के बारे में। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले में तथ्यों पर सीमा के प्रारंभिक बिंदु का पता लगाया जाना चाहिए। आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए तथ्यों से अलग कानून के एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में सीमा की याचिका पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तथ्य के विवादित प्रश्न के मामले में, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर तथ्यों पर निर्णय लिए बिना सीमा के प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के पास प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आदेश XIV नियम 2 के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" 13. आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. के उप-नियम (2) में कहा गया है कि जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और अदालत की राय है कि मामले या उसके किसी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का प्रयास कर सकती है यदि वह मुद्दा (ए) अदालत की अधिकारिता, या (बी) उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे से संबंधित है। प्रावधान

इस नियम का मेजर एस. एस. खन्ना बनाम मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। ब्रिगेडियर एफ. जे. डिलन, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 497 और यह था

" आदेश 14 नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और अदालत की राय है कि मामले या उसके किसी भी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, वह पहले उन मुद्दों का परीक्षण करेगी, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझती है, तो मामले के निपटारे को स्थगित कर सकती है। कानून के मुद्दों का निर्धारण होने तक तथ्य के मुद्दे।

तथ्य के मुद्दों के अलावा कानून के मुद्दों का परीक्षण करने की अधिकारिता का प्रयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहां अदालत की राय में पूरे मुकदमे का निपटारा केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, लेकिन संहिता प्रारंभिक मुद्दों के रूप में कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए अदालत को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। आम तौर पर एक मुकदमे में सभी मुद्दों की सुनवाई अदालत द्वारा की जानी चाहिए; ऐसा नहीं करने के लिए, विशेष रूप से जब कानून के मुद्दों पर निर्णय तथ्य के मुद्दों के निर्णय पर निर्भर करता है, तो मुकदमे की एकतरफा सुनवाई होगी। ”

हालांकि भाषा में थोड़ा संशोधन किया गया है

संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. लेकिन उपरोक्त उद्धृत निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत अभी भी अच्छा है और इस सिद्धांत से कोई विचलन नहीं हो सकता है कि संहिता प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए अदालत को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और जहां कानून के मुद्दे पर निर्णय तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, वहां इसे तथ्य के निर्णय के रूप में नहीं चलाया जा सकता है।

प्रारंभिक मुद्दा "।

65. (क) रिलायंस को आर VII नियम 11 (डी) के तहत विभिन्न निर्णयों पर रखा गया है, जिसमें अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि यदि कोई कानून इसे किए गए अभिकथनों के अनुसार प्रतिबंधित करता है तो शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा।

टी. राघवेंद्र शरण सिंह बनाम। राम प्रसन्ना सिंह

घ) एल. आर. एस. द्वारा , ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1430, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

पंजीकृत उपहार विलेख। उपहार विलेख का निष्पादन वादी द्वारा विवादित नहीं है। यह वादी का मामला है कि उपहार विलेख उपहार का एक दिखावटी विलेख था, और इसलिए यह उस पर बाध्यकारी नहीं है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि लगभग 22 वर्षों तक न तो वादी और न ही उसके भाई (जिनकी मृत्यु उस दिन हुई थी)। 15.12.2002) किसी भी समय दावा किया कि उपहार विलेख उपहार का दिखावटी विलेख था। उपहार विलेख के निष्पादकों में से एक-वादी के भाई ने अपने जीवनकाल के दौरान कभी यह दावा नहीं किया कि उपहार विलेख उपहार का एक दिखावटी विलेख था। यह यहाँ USLI NEVILLE WADIA v में अपीलार्थी था।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे का समन टी. एस. (विभाजन) 2001 का मुकदमा सं. 203 प्रतिवादी सं. 10 वादी पर वर्ष 2001 में ही लागू किया गया था। इसके बावजूद वह वर्तमान मुकदमे की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। यहाँ तक कि

इसमें अपीलार्थी द्वारा गिरवी रखा गया-मूल प्रतिवादी और गिरवी विलेख को प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था। इसलिए, वाद में दिए गए कथनों और तथ्यों के समूह पर विचार करते हुए वाद में कहा गया है, हमारी राय है कि चतुराई से मसौदा तैयार करके वादी ने मुकदमे को सीमा की अवधि के भीतर लाने की कोशिश की है, जो अन्यथा, सीमा के कानून द्वारा वर्जित है। इसलिए, टी के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करते हुए

अरिवंदम (ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2421) (ऊपर) और अन्य,

ऊपर कहा गया है, और चूंकि मुकदमा स्पष्ट रूप से सीमा के कानून द्वारा वर्जित है, इसलिए अभियोग को निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज करने की आवश्यकता है -

सी. पी. सी. का आदेश 7 नियम 11 "।

65. (ख) एन. वी. श्रीनिवास मूर्ति और अन्य बनाम मरियम्मा डी) प्रस्तावित एल. आर. द्वारा। & ओआरएस। , (2005) 5 एस. सी. सी. 548, यह न्यायालय

वेद निम्नानुसार हैः

" 16. उच्च न्यायालय इस आधार पर शिकायत को खारिज करने में सही नहीं लगता है कि वह किसी भी "कार्रवाई के कारण" का खुलासा नहीं करता है। हमारे विचार में, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही थी कि वाद में सभी कथनों को स्वीकार करते हुए, मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित प्रतीत होता है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, वाद की गंभीर जांच पर, वाद स्वयं वाद में बताए गए तथ्यों पर स्पष्ट रूप से वर्जित प्रतीत होता है। जैसा कि तैयार किया गया मुकदमा प्रथम दृष्टया सीमा कानून, विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ कानून संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत भी वर्जित है।

सिविल प्रक्रिया "।

65. (ग) सुमन देवी बनाम में यह न्यायालय। मनीषा देवी और अन्य,

8) 9 एस. सी. सी. 808, निम्नानुसार देखा गयाः

" 10. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 चुनाव याचिकाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक पूर्ण संहिता है। कानून में है आदेश दिया कि एक चुनाव याचिका एक अवधि [2019] 15 एस. सी. आर. के भीतर दायर की जानी चाहिए।

परिणाम घोषित होने के 30 दिन बाद। इस अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 का प्रावधान स्पष्ट रूप से बहिष्कृत रहेगा। विधायिका ने एक विशिष्ट प्रावधान किया है, कोई भी चुनाव याचिका जो क़ानून का पालन करने में विफल रहती है, उसे खारिज किया जा सकता है। उच्च न्यायालय इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों और इस विषय पर अपने स्वयं के उदाहरणों दोनों पर ध्यान देने में विफल रहा है, जिनका हमने उल्लेख किया है।

पहले प्रतिवादी ने पहली बार में एक चुनाव याचिका दायर की, जिस पर आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत रखरखाव पर आपत्ति थी। आदेश 7 नियम 11 के तहत आपत्ति का सामना करते हुए, पहले प्रतिवादी ने चुनाव याचिका वापस लेकर उस पर निर्णय को रद्द कर दिया। एक नई चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता का अनुदान सीमा की सीमा को दूर नहीं कर सकता है। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर ताजा चुनाव याचिका 30 दिनों की वैधानिक अवधि से परे थी और इसलिए उत्तरदायी थी

अस्वीकार कर दिया। "

आदेश VII नियम 11, सी. पी. सी. के तहत ऊपर वर्णित निर्णय उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए प्रस्तुतियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। यदि वाद में अभिकथन इंगित करते हैं कि मुकदमा वर्जित है, तो सी. पी. सी. की धारा 9 ए के चरण के आने से पहले इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार, जिस स्तर पर आदेश VII नियम 11 (डी) को लागू किया जाना है, वह सीमा पर है और धारा 9 ए का दायरा कुछ हद तक सीमित और अलग है। यद्यपि आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति का दायरा काफी व्यापक है जिसमें किसी भी कानून द्वारा इसे प्रतिबंधित करने की स्थिति में वाद की अस्वीकृति शामिल है, हालाँकि, केवल वाद में किए गए अभिकथनों को देखा जाना चाहिए, फिर भी धारा 9 ए किसी वाद को स्वीकार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता के रूप में इसके संचालन में सीमित है।

इन आरईः विदेशी सहयोग में निर्णय

आवास समाज सीमित

66. अब हम मानते हैं कि निर्णय फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) पर निर्भर है जिसमें न्यायालय का निर्णय

पांडुरंग ढोंडी चौगुले (ऊपर) और अन्य निर्णयों पर भरोसा किया गया है। 67. इस न्यायालय की संविधान पीठ के एक निर्णय पांडुरंग ढोंडी चौगुले (उपरोक्त) में, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों की सीमा तक सी. पी. सी. की धारा 115 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में "अधिकार क्षेत्र" का प्रश्न विचार के लिए आया कि कानून के प्रश्न की त्रुटि क्या होगी। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

नस्ली नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 10. न्यायिक निर्णयों ने S.115 के प्रावधानों की जांच की है

कई अवसरों पर कोड। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

तथ्य की त्रुटियाँ, चाहे वे कितनी भी गंभीर क्यों न हों, या यहाँ तक कि कानून की त्रुटियाँ, जब तक कि उक्त त्रुटियों का न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंध न हो। विवाद को स्वयं आजमाने के लिए। सीएलएस के रूप में। (S.115 के a), (b) और (e) इंगित करते हैं, यह केवल उन मामलों में है जहां अधीनस्थ न्यायालय ने एक

न्यायक्षेत्र कानून द्वारा इसमें निहित नहीं है, या एक का प्रयोग करने में विफल रहा है इस प्रकार निहित अधिकारिता, या अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपनी अधिकारिता के प्रयोग में कार्य किया है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता को ठीक से लागू किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि

अधीनस्थ न्यायालय जो अधिकारिता के प्रश्नों से संबंधित हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सीमा की याचिका या न्यायपालिका की याचिका कानून की एक याचिका है जो कार्यवाही का परीक्षण करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इन दलीलों को उठाने वाले पक्ष के पक्ष में एक निष्कर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटा देगा, और

इसलिए, इन दलीलों पर एक गलत निर्णय कहा जा सकता है

अधिकारिता के प्रश्नों से संबंधित जो इसके अंतर्गत आते हैं

कोड के S.115 का दायरा। लेकिन ए पर एक गलत निर्णय

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहुँचा गया कानून का प्रश्न जिसके पास नहीं है

उस न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्नों के संबंध में, नहीं हो सकता है उच्च न्यायालय द्वारा S.115 के तहत सुधार किया गया।

उच्च न्यायालय ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आधार पर ऋण के समायोजन के प्रश्न में हस्तक्षेप किया कि जिला न्यायालय ने

विशेष डिक्री का गलत निर्माण। सवाल यह उठा कि क्या उच्च न्यायालय सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसी त्रुटि को ठीक कर सकता था। इस अदालत ने कहा

यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है क्योंकि उच्च न्यायालय तथ्य की त्रुटि को सुधारने के लिए सक्षम नहीं है, हालाँकि, वे स्थूल या यहाँ तक कि कानून की त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, जब तक कि उक्त त्रुटियों का अधिकार क्षेत्र से संबंध न हो। यदि न्यायालय ने अवैध रूप से निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, या भौतिक अनियमितता के साथ, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। सी. पी. सी. की धारा 115 के संदर्भ को देखते हुए, संविधान पीठ ने कहा है कि सीमा की याचिका कानून की एक याचिका है, जो कार्यवाही का परीक्षण करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। संविधान पीठ ने उस सीमा के प्रश्न को निर्धारित नहीं किया है, और न्यायपालिका पर प्रारंभिक मुद्दे के रूप में विचार किया

जाना चाहिए। यह विवादित नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि न्यायपालिका और सीमा का प्रश्न [2019] 15 एस. सी. आर. से संबंधित है।

कार्यवाही में डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न। यदि कार्यवाही सीमितता से बाधित है, तो न्यायालय के पास डिक्री पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालय के पास अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र था और कार्यवाही के दौरान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे किया जाना है और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दौरान गलत निर्णय के मामले में क्या राशि है, यह एक अन्य रंग है जिसमें अधिकार क्षेत्र की त्रुटि का आकलन किया गया है।

पांडुरंग ढोंडी चौगुले (ऊपर)। यह इस मुद्दे को तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व की कमी का मामला नहीं था। सीमा और न्यायिक स्थिति के सवाल का फैसला कानून का पालन करते हुए अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे में किया जाना है। ऊपर उल्लिखित याचिकाओं पर निष्कर्ष एक डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा सकता है क्योंकि अन्य कानून इसे प्रतिबंधित करते हैं। इस प्रकार, इन याचिकाओं को अधिकार क्षेत्र के प्रश्न से संबंधित कहा जा सकता है, इसके प्रयोग में उनका निर्णय लिया जाना है। निर्णय उत्तरदाताओं के कारण का समर्थन करने में कोई मदद नहीं करता है। फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) में अदालत ने गलत तरीके से सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उपयोग किए गए अधिकार क्षेत्र का एक अलग रंग लागू किया है, जिस पर पांडुरंग में विचार किया गया था।

ढोंडी चौगुले मामला (ऊपर)। यह एक बेमेल है और सी. पी. सी. की धारा 9 ए के प्रावधानों के संदर्भ के साथ विलय नहीं करता है।

68. इट्ट्यविरा मथाई बनाम। वर्की वर्की और एनर। , ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 907, एक मुकदमे की सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को उसी का प्रयोग करते समय की गई अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से अलग किया गया है, इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। न्यायालय ने कहा है कि समय द्वारा वर्जित मुकदमे में पारित डिक्री को अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे पारित करने वाले न्यायालय का पक्ष और विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र है। गलत निर्णय वह नहीं है जिसके लिए न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस विषय पर इसका अधिकार क्षेत्र था।

पक्षकारों पर मामला और इसलिए निर्णय की एक त्रुटि अधिकार क्षेत्र से परे एक डिक्री नहीं बनाएगी। सीमा अधिनियम की धारा 3 पर भी विचार किया गया, जो कानून की एक साधारण त्रुटि होगी। उक्त मामले में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को सीमा के रूप में गलत तरीके से तय किया गया है। मकबुल अहमद और अन्य में प्रिवी काउंसिल का निर्णय v. ओंकार प्रताप नारायण, ए. आई. आर. 1935 पी. सी. 85, का भी उल्लेख इट्ट्यविरा मथाई (ऊपर) में इस प्रकार किया गया हैः

" 8. अपीलार्थी के लिए श्री पैकेडी द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा यह है कि अनंत अय्यर और उनके भाई द्वारा 1093 के ओएस नंबर 59 में रामलिंगा अय्यर के पक्ष में इट्टियाविरा द्वारा निष्पादित काल्पनिक बांड पर मुकदमे में प्राप्त डिक्री अमान्य थी क्योंकि यूएसएलआई नेविल वाडिया बनाम।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

सूट समय से प्रतिबंधित था। यह मानते हुए भी कि मुकदमा समय द्वारा वर्जित था, विद्वान वकील के इस तर्क की सराहना करना मुश्किल है कि डिक्री को अमान्य माना जा सकता है और इसकी अनदेखी की जा सकती है।

बाद के मुकदमे में। यदि मुकदमे को समय पर रोक दिया गया था और फिर भी, अदालत ने इसे आदेश दिया, तो अदालत अवैध होगी, और इसलिए पीड़ित पक्ष इसके खिलाफ अपील को प्राथमिकता देकर डिक्री को दरकिनार करने का हकदार होगा। हालांकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मुकदमे के विषय पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत और उसके पक्षकार, हालांकि अधिकार तय करने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

गलत निर्णय लें; और यह कि भले ही उसने गलत निर्णय लिया हो, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा होगा जो करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। विषय वस्तु पर इसका अधिकार क्षेत्र था, और पक्ष पर इसका अधिकार क्षेत्र था और इसलिए, केवल इसलिए कि उसने मुकदमे में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने में त्रुटि की, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया है। जैसा कि अक्सर कहा गया है, अदालतों के पास सही निर्णय लेने या गलत निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, और भले ही वे गलत निर्णय लेते हैं, उनके द्वारा दिए गए फरमानों को अमान्य नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, विद्वान वकील ने हमें मकबूल अहमद बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के लिए संदर्भित किया। ओंकार प्रताप नारायण सिंह, ए. आई. आर. 1935 पी. सी. 85 ने तर्क दिया कि चूंकि अदालत सीमा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि क्या इससे पहले का मुकदमा समय के भीतर था। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो यह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करेगा। निर्णय में केवल इतना कहा गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 3 आकस्मिक है और न्यायालय को इस प्रावधान पर ध्यान देना होगा और इसे प्रभावी बनाना होगा, भले ही अभिवचनों में सीमा के बिंदु का उल्लेख नहीं किया गया हो। प्रिवी काउंसिल ने यह नहीं कहा है कि जहां अदालत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहती है, वह इसके बिना काम करती है अधिकार क्षेत्र। यदि यह अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है, तो यह केवल कानून की त्रुटि करता है, और कानून की त्रुटि को केवल सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। यदि पार्टी दुखी होती है

उस त्रुटि को ठीक करने के लिए उचित कदम नहीं उठाता है, गलत फरमान अच्छा रहेगा और शून्य होने के आधार पर चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा।

69. उत्तरदाताओं ने मैनिक में निर्णय पर भरोसा किया है

ड्रा नंदी वी। देबदास नंदी और अन्य, (1986) 1 एस. सी. सी. 512, एक बार फिर सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का सवाल उठा। इस न्यायालय ने पुनरीक्षण और अपीलीय क्षेत्राधिकार के बीच के अंतर की ओर इशारा किया।

अभिनिर्धारित किया कि आदेश IX, सी. पी. सी. के नियम 13 के तहत आवेदन को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय तथ्यों की जांच करके एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 123 उस मामले में विचार के लिए आया जब आवेदक को डिक्री के पारित होने के बारे में पता था। डिक्री पारित करने का ज्ञान तथ्य का प्रश्न है और यह एक संपार्श्विक तथ्य होगा जिस पर न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न का निर्धारण निर्भर करेगा। यह फिर से एक था न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग के मामले में, उस संदर्भ में, धारा 115 के बारे में टिप्पणियां की गई हैं जो प्रदान करती हैं कि मामले में

अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया गया है, उच्च न्यायालय सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा नहीं। माणिक चंद्र नंदी (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" 5. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि दो पुनरीक्षण आवेदनों से निपटने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कानून द्वारा आवश्यक नहीं था। उच्च न्यायालय ने इन दोनों आवेदनों को इस तरह माना जैसे कि वे पहली अपील हों, न कि सिविल संहिता की धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले आवेदन। प्रक्रिया। पहली अपील और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में अपीलीय अधिकार क्षेत्र की प्रकृति, गुणवत्ता और विस्तार बहुत अलग हैं। पुनरीक्षण अधिकारिता की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और इसकी सीमाएँ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 द्वारा परिभाषित की गई हैं। उस धारा के तहत उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है यदि वह ऐसा प्रतीत होता है -

यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है या कानून द्वारा उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है या अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में कार्य किया है। इस प्रकार पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग अधिकार क्षेत्र के प्रश्नों तक ही सीमित है। जबकि पहली अपील में न्यायालय मामले में उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन करने और तथ्यों पर अपने निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय। तत्काल मामले में, प्रत्यर्थियों ने एक याचिका दायर की थी कि आदेश के नियम 13 के तहत अपीलार्थी का आवेदन

IX को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। अब, सीमा की याचिका उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है जो एक निष्कर्ष USLI NEVILLE WADIA v के लिए एक कार्यवाही का परीक्षण करता है।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

इसे उठाने वाले पक्ष के पक्ष में इस याचिका पर पद से हटा दिया जाएगा

न्यायालय की अधिकारिता। इस तरह के एक याचिका पर अधीनस्थ अदालत द्वारा किए गए निर्णय की शुद्धता का निर्धारण करने में,

उच्च न्यायालय को कभी-कभी कानून या तथ्य के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न में जाना पड़ सकता है, यानी उसे संपार्श्विक प्रश्नों पर निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसके निर्धारण पर अधिकार क्षेत्र के रूप में निर्णय निर्भर करता है। यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या अधीनस्थ अदालत ने इस तरह के संपार्श्विक प्रश्न का सही फैसला किया है, हालांकि, उच्च न्यायालय, जहां तक साक्ष्य के मूल्यांकन का संबंध है, पहली अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और अधीनस्थ अदालत द्वारा किए गए निष्कर्षों के लिए अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जब तक कि ऐसा कोई निष्कर्ष किसी भी तरह से रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा नहीं दिया जाता है या स्पष्ट रूप से साक्ष्य के विपरीत है या इतना स्पष्ट रूप से है कि यदि खड़े होने की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप गंभीर अन्याय होगा।

एक पार्टी "। धारा 115 के तहत अधिकार क्षेत्र शब्द का एक अलग रूप है, निर्णय की व्याख्या के रूप में कोई प्रासंगिकता नहीं है

जिस संदर्भ में यह धारा 9 ए में रहा है, उस संदर्भ में 'मनोरंजन करने के लिए कार्य क्षेत्राधिकार'।

70. रिलायंस को आई. टी. डब्ल्यू. सिग्नोड इंडिया लिमिटेड में भी रखा गया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, (2004) 3 एस. सी. सी. 48, जिसमें यह कहा गया है कि सीमा के प्रश्न में अधिकार क्षेत्र का प्रश्न शामिल है। अधिकारिता के प्रश्न पर तथ्य एक क्षेत्राधिकार होगा इस तरह के प्रश्न का निर्धारण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

ए. डब्ल्यू. निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" 69. सीमा के प्रश्न में अधिकार क्षेत्र का प्रश्न शामिल है।

अधिकारिता के प्रश्न पर तथ्य का निष्कर्ष एक होगा

क्षेत्राधिकार तथ्य। ऐसा अधिकारिता संबंधी प्रश्न होना चाहिए

उसमें शामिल तथ्य और कानून दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया। ट्रिब्यूनल ने, हमारी राय में, कथित प्रश्न का निर्धारण नहीं करने में एक स्पष्ट त्रुटि की, विशेष रूप से जब अनुपस्थिति में

इस तथ्य के किसी भी निष्कर्ष के कि अपीलार्थी की ओर से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने के माध्यम से किसी भी सकारात्मक कार्य से संबंधित उत्पाद शुल्क का ऐसा अल्प-उद्ग्रहण, सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता था और इस मामले को देखते हुए नियम 10 के संदर्भ में कोई कारणदर्शक सूचना नहीं दी जा सकती थी। जारी किए गए हैं। "[2019] 15 एस. सी. आर.

उपरोक्त निर्णय से कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित है। अवलोकन नहीं किया गया है

किसी वाद पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी के संदर्भ में।

71. रिलायंस को आगे कमलेश बाबू और अन्य बनाम पर रखा गया है। लाजपत राय शर्मा और अन्य, (2008) 12 एस. सी. सी. 577, जिसमें विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के बारे में विचार के लिए प्रश्न उठाया गया था, जिसमें कहा गया था कि वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, हालांकि निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था। पिछले निष्कर्ष पर प्रथम अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने माना कि सीमा की याचिका शायद कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है। इस न्यायालय ने सीमा और आदेश VII नियम 11 (डी) के प्रावधानों पर विचार किया और कहा कि वाद के मामले में वाद में दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सीमा कानून द्वारा वर्जित किया गया है, न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कानून का सवाल किसी मामले पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए न्यायालय की अधिकारिता के मूल तक जाता है क्योंकि अन्यथा अधिकारिता के बिना दिया गया निर्णय अमान्य होगा। कमलेश बाबू (ऊपर) में खंड पीठ द्वारा उपयोग की गई अभिव्यक्ति शून्यता को सीमा के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकार क्षेत्र का सवाल है जब न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई करने की कोई शक्ति नहीं है। हमारी राय में, सीमा के सवाल पर एक गलत निर्णय निर्णय को अमान्य नहीं कर देगा। हम बड़े सम्मान के साथ देखते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पैरा 23 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति गलत है।

सीमा के प्रश्न पर निर्णय इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के निर्णय को प्रस्तुत करेगा क्योंकि शून्यता प्रत्यक्ष रूप से गलत है। यह मुद्दा तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र के अवैध प्रयोग का मामला हो सकता है, लेकिन निर्णय अमान्य नहीं होगा।

72. भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति में निर्णय

सीमित वी। भद्रा प्रोडक्ट्स, (2018) 2 एस. सी. सी. 534, को उत्तरदाताओं द्वारा संदर्भित किया गया है जिसमें प्रश्न सीमा पर निर्णय के मुद्दे पर विचार के लिए आया है। इस न्यायालय ने कहा है कि सीमा या न्यायिक स्थिति के प्रश्न पर गलत निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा देगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे को समझाया गया है। हमारी राय में, न्यायिक निर्णय और सीमा के मुद्दे पर निर्णय लिया जा सकता है यदि न्यायालय के पास किसी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, अन्यथा नहीं।

73. अधिकारिता का प्रश्न इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (उपरोक्त) में विचार के लिए आया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि यह किसी मामले को सुनने और निर्धारित करने और किसी भी न्यायिक शक्ति का न्यायनिर्णयन या प्रयोग करने की अदालत की शक्ति है और इसकी प्रासंगिक व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 21. वह "अधिकार क्षेत्र" कई रंगों का एक कोट है, और यह कि उक्त शब्द संदर्भ के आधार पर एक निश्चित रंग प्रदर्शित करता है। जिस में इसका उल्लेख किया गया है, वह अच्छी तरह से स्थापित है। शास्त्रीय अर्थ में, आधिकारिक न्यासी v. सचिंद्र नाथ चटर्जी, आकाशवाणी 1969 एस. सी.

823 , " अधिकारिता "के बारे में कहा गया है: (एस. सी. आर पी. 99 : एयर पीपी। 827-28 ,

पैरा 13)

" 13. ..... ' सुख लाल शेख बनाम में एक पूर्ण पीठ के संदर्भ के क्रम में। तारा चंद ता, आई. एल. आर. (1906) 33 कल 68, यह कहा गया था कि अधिकार क्षेत्र को अदालत की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

किसी भी कारण को सुनना और निर्धारित करना, निर्णय लेना और प्रयोग करना

इसके संबंध में न्यायिक शक्ति; दूसरे शब्दों में, अधिकार क्षेत्र द्वारा

इसका मतलब वह अधिकार है जिसे अदालत को मामलों का फैसला करना होता है

जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है या मामलों का संज्ञान लिया जाता है

अपने निर्णय के लिए औपचारिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। पुस्तकों में मामलों की जांच से "अधिकार क्षेत्र" शब्द को परिभाषित करने के कई प्रयासों का पता चलता है, जिसे "कानून और तथ्य के मुद्दों को सुनने और निर्धारित करने की शक्ति" कहा गया है।

जिनका न्यायिक अधिकारी संज्ञान लेते हैं और कारण तय करते हैं ";" कानूनी विवाद को सुनने और तय करने का अधिकार "," विषय को सुनने और निर्धारित करने की शक्ति-किसी मुकदमे के पक्षों के बीच विवाद में मामला और उन पर कोई न्यायिक शक्ति का निर्णय या प्रयोग करने की शक्ति ";" अदालत के समक्ष मुद्दों पर निर्णय सुनने, निर्धारित करने और निर्णय देने की शक्ति ";" शक्ति या अधिकार जो विधायिका द्वारा अदालत को पक्षों के बीच कारणों को सुनने और निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए प्रदान किया जाता है।

प्रभाव में ";" तथ्यों की जांच करने, कानून लागू करने, निर्णय सुनाने और इसे निष्पादित करने की शक्ति "। (मुखर्जी, कार्यवाहक सी. जे., की पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिरदे नाथ राय बनाम. राम चंद्र बर्णा सरमा, 1920 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 85: आई. एल. आर. (1921) 48 कैल 138, एस. सी. सी.

ऑनलाइन कैल) "" ""

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (ऊपर) में, यह

उन्होंने कहा कि यदि अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय ने गलत निर्णय लिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय को ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

डी अधिकार क्षेत्र या न्यायपालिका के सवाल पर गलत निर्णय

घ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है और निर्णय को एक

संपार्श्विक हमले के लिए उत्तरदायी।

y

74. उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

स्मिथक्लाइन बीचम कंज्यूमर हेल्थकेयर (ऊपर), न्यायालय ने कहा है कि विधायिका ने व्यापक अर्थों में धारा 9 ए में शब्द का उपयोग किया है और न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 9 ए के तहत मुकदमे की स्थिरता पर विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसका एक व्यापक अर्थ है जहां एक क़ानून मुकदमे को प्रतिबंधित करता है। हमारी राय में, निर्णय को कानून को सही ढंग से निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है और इस तरह इसे खारिज कर दिया जाता है। रिलायंस को सुदेश बनाम पर भी रखा गया है। अब्दुल अज़ीज़, 2001 (1) Mh.L.J. 324, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून निर्धारित किया गया है कि अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर आधारित सीमा के किसी भी प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में किया जाना है। न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि चूंकि यह कानून का एक मिश्रित प्रश्न है और

तथ्य, जिनका उस स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सका था, धारा 9 ए के तहत गलत माने गए थे। सुदेश बनाम में निर्णय। अब्दुल अज़ीज़ (ऊपर) को सही ढंग से कानून बनाने वाला नहीं कहा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप इसे खारिज कर दिया गया है।

75. रिलायंस को श्रद्धा एसोसिएट्स बनाम के फैसले पर रखा गया है। सेंट पैट्रिक टाउन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, 2003 (2) Mh.L.J. 219, जिसमें यह विचार लिया गया है कि सीमा के संबंध में मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। धारा 9 ए के लिए सीमा के प्रश्न के बारे में श्रद्धा एसोसिएट्स (उपरोक्त) में किए गए अवलोकन को कानून के सही प्रस्ताव को निर्धारित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भी इसी तरह का विचार लिया गया सीमित वी। प्रवीण डी. देसाई, (2009) 1 एयर बॉम आर 477, रॉयल पाम्स (इंडिया) पी. लिमिटेड बनाम। भरत शाह, (2009) 2 बम सी. आर. 622, मुकुंद लिमिटेड बनाम। एम. आई. ए. एल., 2011 (2) Mh.L.J. 936, जग्शी शाह बनाम। शान बिल्डर्स, (2012) 3 बॉम सी. आर. 770, फेरानी होटल्स पी. लिमिटेड और एक अन्य बनाम। नुस्ली नेविल

वाडिया और अन्य, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 1994, नरेश लचनमंडस असवानी बनाम। हरिदास असवानी और अन्य, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1368 और भारत संघ और अन्य बनाम। एन. के. भोग और अन्य, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 664, को महाराष्ट्र में लागू धारा 9 ए सी. पी. सी. के दायरे के संबंध में सही ढंग से कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

इन आरईः साहित्यिक हस्तक्षेप

76. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि न्यायालय इससे बचने के लिए अधिनियम की स्पष्ट भाषा को तोड़-मरोड़ कर नहीं बता सकता है

कोई वास्तविक या काल्पनिक कठिनाई जो इस तरह की शाब्दिक व्याख्या का कारण बन सकती है। रिलायंस को रोहिताश कुमार और अन्य बनाम पर भी रखा गया है। ओम प्रकाश शर्मा और अन्य, (2013) 11 एस. सी. सी. 451, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः

यू. एस. एल. आई. नेविल वाडिया बनाम। IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 23. एक वैधानिक प्रावधान हो सकता है, जो बहुत बड़ा कारण बनता है

संबंधित पक्ष या किसी व्यक्ति के लिए कठिनाई या असुविधा, लेकिन अदालत के पास इसे पूरी सख्ती से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कठिनाई या असुविधा का उपयोग विधायिका द्वारा नियोजित भाषा के अर्थ को बदलने के लिए एक आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा अर्थ क़ानून के केवल अवलोकन पर स्पष्ट है। यदि भाषा सरल है और इसलिए केवल एक ही अर्थ की अनुमति देती है, तो उसे लागू करना होगा, भले ही यह कठिनाई या संभावित अन्याय का कारण बने। [सी. आई. टी. (ए. जी.) वी. केशव चंद्र मंडल ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 265 और डी. डी. जोशी बनाम भारत संघ (1983) 2 एस. सी. सी. 235।] 24. बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एआईआर 1955 एससी 661 (एससीसी पी। 685, पैरा 43) इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि यदि कोई कठिनाई है, तो कानून में संशोधन करना विधायिका का काम है, और यह कि अदालत से इस उद्देश्य के लिए व्याख्या के मूल नियम को त्यागने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

ऐसी कठिनाइयों को कम करने के लिए। यदि किसी अधिनियम की भाषा

पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि अदालत को इसे लागू करना होगा, परिणाम चाहे कितना भी असमान या अन्यायपूर्ण क्यों न हो। संक्षेप में, "ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स" शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, जिसका अर्थ है "कानून कठिन है, लेकिन यह कानून है"। इसलिए, भले ही कोई वैधानिक प्रावधान कुछ लोगों को कठिनाई का कारण बनता है, लेकिन कानून में संशोधन करना अदालत का काम नहीं है। एक कानूनी अधिनियम की व्याख्या उसके स्पष्ट और शाब्दिक अर्थों में की जानी चाहिए, क्योंकि यही व्याख्या का पहला सिद्धांत है।

25. मैसूर एस. ई. बी. बनाम. बैंगलोर वूलेन कॉटन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड. ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1128 (ए. आई. आर. पी. 1139, पैरा 27) इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि किसी कानून की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम। कॉर्प. कलकत्ता ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 529 के इस न्यायालय ने उसी मुद्दे पर विचार करते हुए कहा (ए. आई. आर. पी. 535, पैरा 14)

" 14. ..... एक वैधानिक प्रावधान से बहने वाला परिणाम कभी नहीं होता है एक बुराई। एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए मानता है। ए.

कानून को, निश्चित रूप से, इस बात पर प्रभाव दिया जाना चाहिए कि क्या कोई अदालत

परिणाम पसंद आया या नहीं। "

(सी. आई. टी. वी. भी देखें। वेजीटेबल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1973) 1 एस. सी. सी. 442 और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड v. रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (2009) 16 एससीसी 659)

26. इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को हुई कठिनाई, प्रावधान के प्रत्येक शब्द को प्रभावी और व्याकरणिक अर्थ नहीं देने का आधार नहीं हो सकती है, यदि उसमें उपयोग की गई भाषा स्पष्ट है।

शब्दों का जोड़ और घटाव 27. न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि किसी कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते समय वह न तो एक शब्द जोड़ सकता है और न ही घटा सकता है। कानूनी उक्ति "ए वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट"

परिच्छेद "का अर्थ है", कानून के शब्दों से, कोई विचलन नहीं होना चाहिए। " किसी खंड की व्याख्या उसके सभी भागों को एक साथ पढ़कर की जानी चाहिए और उसके किसी भी भाग को छोड़ने की अनुमति नहीं है। अदालत इस धारणा के साथ आगे नहीं बढ़ सकती कि विधायिका ने क़ानून को लागू करते समय गलती की है; उसे इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि विधायिका का इरादा वही है जो उसने किया है। कहा; भले ही कानून को तैयार करने में उसके द्वारा उपयोग किए गए वाक्यांश में कुछ दोष हो, और यह अदालत के लिए अधिनियम में छोड़ी गई कमियों को जोड़ने और संशोधित करने या निर्माण द्वारा पूरा करने के लिए खुला नहीं है। न्यायालय केवल दरारों को दूर कर सकता है,

लेकिन ऐसा करते समय, इसे उस कपड़े को नहीं बदलना चाहिए, जिसमें से एक अधिनियम बुना गया है। न्यायालय, वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, किसी कानून में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकता है, या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकता है जो इसका हिस्सा नहीं हैं, विशेष रूप से जब इसका शाब्दिक अध्ययन एक बोधगम्य परिणाम उत्पन्न करता है। (वीड नलिनख्या बायसैक बनाम। श्याम सुंदर हलदर, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 148, श्री राम राम नारायण मेधी बनाम। बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 459, एम. पेंटिया बनाम। मुद्दला वीरमल्लप्पा, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1107, बालासिनोर

कि विधायिका के मन में हो सकता है, या विधायिका से क्या कहने की उम्मीद की जाती है, या विधायिका ने क्या किया होगा, या विधायिका का क्या कहना या करना कर्तव्य था। अदालतों को कानून का प्रशासन वैसा ही करना होता है जैसा वे पाते हैं, और अदालत के लिए किसी भी वास्तविक या काल्पनिक कठिनाई से बचने के लिए अधिनियम की स्पष्ट भाषा को मोड़ना अनुमत नहीं है जो इस तरह की शाब्दिक व्याख्या के कारण हो सकती है। 29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रावधान की व्याख्या करने की आड़ में, अदालत के पास नस्ली नेविल वाडिया v नहीं है।

IVORY संपत्तियाँ और ORS। [अरुण मिश्रा, जे।]

एक भी शब्द को जोड़ने या घटाने की शक्ति, क्योंकि यह नहीं होगा

यह व्याख्या के बराबर है, लेकिन कानून "।

इसके अलावा, नलिनख्या बिसैक बनाम पर निर्भरता रखी गई है।

श्याम सुंदर हलदर, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 148। निम्नलिखित प्रासंगिक अवलोकन किया गया हैः

" (9) ..... इसे हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि लॉर्ड हैल्सबरी ने कहा था।

आय कर के विशेष उद्देश्यों के लिए आयुक्त v.

पेम्सेल, (1891) ए. सी. 531 (जी) कि यह किसी भी न्यायालय के लिए इस धारणा पर आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं है कि विधायिका ने एक गलती हुई। न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि

विधायिका का इरादा वही है जो उसने कहा है। भले ही विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाक्यांश में कुछ दोष हो, लेकिन अदालत ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि क्रॉफर्ड v में बताया गया है। चम्मच, 6 मू। पी. सी. 1 (एच) विधायिका के किसी अधिनियम के दोषपूर्ण वाक्यांश में सहायता करता है या अधिनियम में बची कमियों को जोड़ता और संशोधित करता है या निर्माण द्वारा जोड़ता है। यहां तक कि जहां एक केसस ओमिसस है, वह है, जैसा कि हंसराज गुप्ता बनाम में किलोवेन के लॉर्ड रसेल ने कहा है। देहरा का आधिकारिक परिसमापक

डन-मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कं, लिमिटेड, ए. आई. आर. 1933 पी. जे. 63 (आई) अदालतों के अलावा अन्य लोगों के लिए दोष को दूर करने के लिए। हमारे विचार में "डिक्री" शब्द को इसके सामान्य स्वीकृत अर्थ के अलावा कोई अन्य अर्थ देना सही नहीं है और हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि उन विद्वान न्यायाधीशों की राय के लिए हमारे गहरे सम्मान के बावजूद, जिन्होंने उन्हें तय किया, कि कई मामलों पर निर्भर थे -

प्रतिवादी का निर्णय सही ढंग से नहीं किया गया था।

ऊपर वर्णित प्रस्तावों के साथ कोई विवाद नहीं है;

हालाँकि, जब धारा 9ए, सी. पी. सी. में शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि कंपनी में अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार का उपयोग मनोरंजन के लिए किया गया है। दोनों अभिव्यक्तियों को एक साथ लिया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि न्यायालय के पास मुकदमा शुरू करने के लिए विचार के लिए मुकदमा प्राप्त करने की शक्ति या अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। जब हम मनोरंजन करने के लिए अधिकार क्षेत्र से सीमा के प्रश्न के बहिष्कार के कारण होने वाली कठिनाइयों का परीक्षण करते हैं, तो सही भावना से परीक्षण किया जाता है, यह समर्पण को नकारने के लिए पलटता है।

निष्कर्ष

77. (क) उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि मनोरंजन करने के अधिकार क्षेत्र का अलग अर्थ है -

उसके प्रयोग में की गई अधिकारिता संबंधी त्रुटि। अधिकारिता के अस्तित्व और अधिकारिता के प्रयोग के बीच अंतर है। अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार का उपयोग सी. पी. सी. में कई [2019] 15 एस. सी. आर. में किया गया है।

विभिन्न संदर्भों में स्थान और उस संदर्भ से रंग लेता है जिसमें इसका उपयोग किया गया है। अधिकारिता का अस्तित्व संपार्श्विक कार्यवाहियों में हमला करने के लिए निर्णय की स्वीकार्यता के तथ्य से परिलक्षित होता है। यदि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, तो उसका निर्णय शून्य के रूप में हमला करने के लिए खुला है। सीमा कानून द्वारा बनाए गए बार के मुद्दों पर निर्णय लेते समय, न्यायालय के पास इन मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। धारा 9 ए और आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के तहत, यह प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए खुला है यदि यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल है न कि साक्ष्य दर्ज करके कानून और तथ्य का मिश्रित सवाल है। फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय नहीं हो सकता है। कहा जाए कि यह कानून को सही तरीके से निर्धारित कर रहा है। हमने उसमें निर्दिष्ट निर्णयों पर विचार किया है, वे अलग-अलग संदर्भों में हैं। मेहर सिंह (उपरोक्त) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय में कहा गया है कि धारा 9 ए के तहत किसी मुकदमे/अधिकार क्षेत्र का परीक्षण करने के मुद्दे का निर्णय यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य दर्ज करके और उचित निर्णय द्वारा किया जा सकता है, जिसे खारिज कर दिया जाता है। हमारा मानना है कि कमलाकर शांताराम (ऊपर) में निर्णय सही ढंग से लिया गया है और इसे फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) में किए गए निर्णय के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

77. (ख) महाराष्ट्र द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 2 जो यह प्रावधान करती है कि जहां प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किया गया है

धारा 9 ए के तहत सी. पी. सी. के प्रारंभ की तारीख को लंबित है, उक्त मुद्दे पर अदालत द्वारा धारा 9 ए के तहत निर्णय लिया जाएगा और निपटाया जाएगा जैसे कि धारा 9 ए के तहत प्रावधान को हटाया नहीं गया है, कानूनी परिदृश्य को नहीं बदलता है कि महाराष्ट्र में लागू धारा 9 ए, सी. पी. सी. के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में क्या निर्णय लिया जा सकता है। धारा 2 के प्रावधान द्वारा सृजित बचत जहां धारा 9 ए के तहत बनाए गए प्रारंभिक मुद्दे पर विचार सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख को लंबित है, केवल तभी तय की जा सकती है जब यह धारा 9 ए की व्याख्या पर हमारे द्वारा पाए गए मापदंडों के भीतर आता है। हम दोहराते हैं कि किसी भी मुद्दे पर केवल इस प्रावधान की आड़ में निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि इसे धारा 9 ए के तहत तैयार किया गया है और (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख से विचाराधीन था। संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

78. गुण-दोष पर विचार के लिए मामलों को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।

देविका गुजराल

संदर्भ

ने जवाब दिया।